माननीय दिल्ली विद्युत विनायमक आयोग,
दिल्ली के समक्ष

दिल्ली विद्युत विनायमक आयोग (चक्रीय शुल्क तथा खुदरा आपूर्ति के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2011 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु दिल्ली विद्युत विनायमक आयोग (चक्रीय शुल्क तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2007 तथा वार्षिक अपेक्षित राजस्व अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अन्तिम यथा प्रमाणिक याचिका।

द्वारा प्रस्तुतः

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
पालिका केन्द्रः नई दिल्ली- 110001

जनवरी-2013

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष

के मामले में: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत वित्तीय वष 2013-14 के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु (वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु) यथा प्रमाणिक याचिका दायर करना तथा समस्त अपेक्षित राजस्व की समीक्षा।

तथा

के मामले में: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
पालिका केन्द्र: संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
(''याचिकादाता'')

याचिका दाता विनयपूर्वक निम्नलिखित प्रस्तुत करता है:-

1.1 कि याचिकादाता (इसके पश्चात् ''न.दि.न.परिषद्'' अथवा याचिकादाता के रूप में संदर्भित) एक नगरपालिका परिषद् है न.दि.न.परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 195 से 201 के अन्तर्गत नई दिल्ली क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत के वितरण का कार्य विश्वासपूर्वक सौंपती है।

1.2 न.दि.न.परिषद् के पास नई दिल्ली क्षेत्र के संबंध में भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के अंतर्गत एक लाइसैंसी की शक्तियाँ एवं दायित्व हैं।

1.3 कि न.दि.न.परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 200 के अन्तर्गत न.दि.न.परिषद् को तत्समय् प्रवृत्त हेतु किसी विधि के प्रावधानों की शर्त पर, इसके द्वारा की गई विद्युत आपूर्ति हेतु वसूले जाने वाले प्रभारों के नियत करने की शक्ति है।

1.4 कि भारत सरकार ने 10 जून, 2003 को भारतीय विद्युत अधिनियम 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 तथा विद्युत विनायमक आयोग 1998 को निरस्त कर विद्युत अधिनियम 2003 अधिसूचित किया। राज्य विद्युत विनियामक आयोग को (रा.वि.वि.आ.) को राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा राष्ट्रीय शुल्क नीति द्वारा शुल्क संबंधित प्रावधानों से निर्देशित किया जाना है। उत्पादन, संचारण, तथा वितरण शुल्क नीति द्वारा शुल्क संबंधित प्रावधानों से निर्देशित कराया गया है।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने (डी.ई.आर.सी.) शुल्क निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए विनियमों को तैयार किया है। नीति निर्देश अवधि (2002-2007) की समाप्ति के साथ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (इसके पश्चात् 'आयोग' के रूप में संदर्भित) ने अधिसूचना दिनाँक 30 मई, 2007 द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2011 की अवधि हेतु बहुवर्षीय शुल्क तैयार करने के अन्तर्गत विद्युत के उत्पादन, संचारण तथा वितरण हेतु शुल्क निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए विनियम जारी किए। तत्पश्चात् माननीय आयोग ने प्रथम बहुवर्षीय शुल्क तैयार करने के अन्तर्गत विद्युत के वितरण हेतु शुल्क के निधारण के लिए नियम एवं शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010 के लिए दिल्ली में सभी वितरण उपयोगिताओं को सूचित करते हुए पत्र सं. एफ-3(312)/शुल्क/दि.वि.नि.आ. /2011-12/4481 दिनाँक 24.02.2011 को जारी किया।

1.5 तत्पश्चात् माननीय आयोग ने द्वितोय नियंत्रण अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013, वित्तीय वर्ष 2015 के अन्तर्गत बहुवर्षीय शुल्क तैयार करने के अन्तर्गत विद्युत के उत्पादन, संचारण तथा वितरण हेतु शुल्क के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तो को निर्दिष्ट करते हुए, दिनाँक 2, दिसम्बर 2011 को अधिसूचना द्वारा विनियम जारी किए।

1.6 माननीय आयोग द्वारा अधिसूचित प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु दि.वि.नि.आ. बहुवर्षीय शुल्क 2007 के प्रावधानों के अनुक्रम न.दि.न.परिषद् वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के लिए यथा-प्रमाणिकता हेतु तथा माननीय आयोग द्वारा अधिसूचित द्वितोय नियंत्रण अवधि हेतु दि.वि. नि.आ. बहुवर्षीय विनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु समस्त अपेक्षित राजस्व के अनुमोदन हेतु न.दि.न.परिषद् यह आवेदन प्रस्तुत कर रही है।

1.7 न.दि.न.परिषद् ने यह शुल्क याचिका प्रस्तुत करते हुए माननीय आयोग द्वारा तैयार अधिकतर विनियमों का अनुपालन करने का प्रयास किया है।

कि इस याचिका में निम्नलिखित दस्तावेज सम्मिलित हैं:-

1.8 याचिका सत्यापन शपथ-पत्र तथा याचिका दायर करते हुए पॉवर ऑफ अटॉर्नी (इस याचिका के भाग-1 के संलग्न)

1.9 डिमांड ड्राफ्ट सं. .... दिनाँक .... को आहरण .... हेतु .... की राशि के रूप में फाइलिंग शुल्क।

1.10 बहुवर्षीय शुल्क संरूप (इस याचिका का भाग-।।)

1.11 याचिका की सॉफ्ट कॉपी।

1.12 न.दि.न.परिषद् माननीय आयोग को वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तोय वर्ष 2011-12 हेतु यथा प्रमाणिकता हेतु अनुमोदन तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु संशोधित वार्षिक अपेक्षित राजस्व के अनुमोदन के लिए निवेदन करती है।

माननीय आयोग से अभियाचना

1.13 न.दि.न.परिषद् सम्मानीय रूप से अनुरोध करती है कि माननीय आयोग आज्ञा करें:

(क) याचिका में वर्णित अनुसार अनुकूल व्यवस्था हेतु न.दि.न.परिषद् द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की जाँच।

(ख) प्रस्तुतिकरण पर विचार करें तथा बहुवर्षीय शुल्क विनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु यथा प्रमाणिकता पर अनुमोदन एवं बहुवर्षीय शुल्क विनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु वार्षिक अपेक्षित राजस्व की समीक्षा।

(ग) किसी भूल, चूक/त्रुटि/कमियों के लिए क्षमा करें तथा इसे फाइल करते समय न.दि.न. परिषद् को जोड़ने/परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन की अनुमति दें तथा जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो आगामी पस्तुतीकरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे।

(घ) कोई अन्य आगामी आदेश पास करें जैसाकि, माननीय आयोग मामले की परिस्थितियों तथा तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उचित तथा उपयुक्त समझे।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
नई दिल्ली

दिनाँक:

विषय सूची

1. प्रस्तावना..10

न.दि.न.परिषद् सिंहावलोकन 10

कार्यविधिक इतिहास 10

वर्तमान याचिका 11

याचिका की विषय वस्तु 12

2. यथा-प्रमाणिकता याचिका 13

प्रस्तावना 13

श्रेणीवार बिक्री 13

बिल किया गया राजस्व 14

संग्रहित राजस्व 15

पॉवर क्रय 16

ऊर्जा आवश्यकता एवं ऊर्जा बकाया 17

समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ 18

पॉवर क्रय लागत 18

परिचालन एवं रखरखाव व्यय 20

कर्मचारी लागत 20

मरम्मत/रखरखाव व्यय 20

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय 20

परिचालन एवं रखरखाव व्यय 20

प्रशासनिक व्यय की सिविल अभियंत्रण विभाग व्यय 21

सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ 22

मूल्यह्रास 22

कार्यकारी पूँजी 23

पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न (आरसीओई) 24

गैर-शुल्क आय 25

पॉवर की बिक्री से अपेक्षित समस्त राजस्व एवं राजस्व 26

वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु राजस्व आधिक्य/विषमता 26

वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु राजस्व आधिक्य/विषमता 27

वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु राजस्व आधिक्य/विषमता 28

वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु राजस्व आधिक्य/विषमता 29

वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु राजस्व आधिक्य/विषमता 30

रखरखाव लागत सहित प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु राजस्व विषमता 31

3. वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु समस्त राजस्व अपेक्षा 33

पॉवर क्रय 33

ऊर्जा अपेक्षा तथा ऊर्जा शेष 35

समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ 36

प्रचालन एवं रखरखाव व्यय 36

कर्मचारी लागत 36

मरम्मत एवं रखरखाव व्यय 36

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय 37

प्रचालन एवं रखरखाव व्यय 37

प्रशासनिक व्यय एवं सिविल इंजीनियरिंग विभाग व्यय 37

सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ 39

मूल्यह्रास 39

कार्य पूँजी 40

पूँजी कर्मचारियों पर रिटर्न 41

गैर- शुल्क आय 42

अपेक्षित समस्त राजस्व 42

पॉवर की बिक्री से राजस्व 43

राजस्व विषमता 44

शुल्क संशोधन प्रस्ताव 44

4. माननीय आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के प्रत्युत्तर 45

तालिकाओं की सूची

तालिका 1: श्रेणीवार उपभोक्ता विवरण........ 13

तालिका 2: श्रेणीवार ऊर्जा बिक्री 14

तालिका 3: महीनावार ऊर्जा बिक्री 15

तालिका 4: संग्रहित राजस्व 15

तालिका 5: पॉवर क्रय 16

तालिका 6: ऊर्जा आवश्यकता एवं ऊर्जा बकाया 17

तालिका 7: समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ 18

तालिका 8: पॉवर क्रय लागत 19

तालिका 9: आधिक्य पॉवर बिक्री से राजस्व 19

तालिका 10: परिचालन एवं रखरखाव व्यय 20

तालिका 11: प्रशासनिक एवं सिविल अभियंत्रण विभाग व्यय 21

तालिका 12: सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ 22

तालिका 13: मूल्यह्रास 23

तालिका 14: कार्यकारी पूँजी 24

तालिका 15: पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न 25

तालिका 16: वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु गैर-शुल्क आय 26

तालिका 17: वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु राजस्व विषमता 27

तालिका 18: वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु राजस्व विषमता 28

तालिका 19: वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु राजस्व विषमता 29

तालिका 20: वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु राजस्व विषमता 30

तालिका 21: वित्तोय वर्ष 2011-12 हेतु राजस्व विषमता 30

तालिका 22: प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु राजस्व विषमता 31

तालिका 23: श्रेणीवार ऊर्जा बिक्री 33

तालिका 24: पॉवर क्रय लागत 34

तालिका 25: ऊर्जा अपेक्षा तथा ऊर्जा शेष 35

तालिका 26: समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ 36

तालिका 27: प्रचालन एवं रखरखाव व्यय 37

तालिका 28: प्रशासनिक तथा सिविल इंजीनियरिंग विभाग व्यय 38
तालिका 29: सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ 39
तालिका 30: मूल्यह्रास 40
तालिका 31: कार्य पूँजी की गणना हेतु मानक 40
तालिका 32: कार्य पूँजी 41
तालिका 33: पूँजी कर्मचारियों पर रिटर्न 41
तालिका 34: गैर- शुल्क आय ण....................42
तालिका 35: अपेक्षित समस्त राजस्व 43
तालिका 36: पॉवर की बिक्री से राजस्व 43
तालिका 37: राजस्व विषमता 44
तालिका 38: निदेशों का अनुपालन 45

1. प्रस्तावना

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् सिंहावलोकन

1.1 नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (न.दि.न.परिषद्) को न.दि.न.परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 195 से 201 के अन्तर्गत नई दिल्ली क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का कार्य सौंपा गया है। न.दि.न.परिषद् को नई दिल्ली क्षेत्र के संबंध में भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के अन्तर्गत लाइसैंसी होने की बाह्यता है।

1.2 न.दि.न.परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 200 के अन्तर्गत न.दि.न.परिषद् को, उसके द्वारा आपूर्ति की जा रही विद्युत हेतु लगाए जाने वाले प्रभार तत्समय् प्रवृत्त किसी प्रावधानों की शर्त पर निर्धारित करने की शक्ति है।

1.3 31 मार्च, 2007 तक, दिल्ली ट्रांसको (डीटीएल) दिल्ली म पावर की खुदरा आपूर्ति तथा खुदरा वसूली हेतु एक मात्र सत्ता है। दिल्ली में सभी डिस्कॉम को उनके भुगतान करने के आधार पर अनुमोदित खुदरा आपूर्ति शुल्क (बीएसटी) पर डीटीएल से पॉवर क्रय करनी होगी। 28 जून, 2006 को रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 1 अप्रल, 2007 से पॉवर आपूर्ति प्रबंध करवाने हेतु नीति निर्देशों का एक सैट जारी किया। यह नीति निर्देश विद्युत अधिनियम 2003 (इसके पश्चात् 'अधिनियम' के रूप में संबोधित) के अन्तर्गत जारी किए गए।

1.4 विद्युत अधिनियम 2003 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति के भी प्रावधानों के अनुक्रम में न.दि.न.परिषद् के अपने लाइसैंस क्षेत्र के लिए दिल्ली में पॉवर की आपूर्ति के प्रबंध के लिए उत्तरदायित्व 1 अप्रैल, 2007 से न.दि.न.परिषद् के पास है।

1.5 विद्युत की खुदरा आपूर्ति का व्यवसाय कभी भी डीटीएल के व्यवसाय का हिस्सा नहीं रहा, तथा अब उक्त न.दि.न.परिषद् तथा राज्य के अन्य वितरण लाइसैंसी (डिस्कॉम) के पास दिनाँक 1 अप्रैल, 2007 से अधियुक्त है।

कार्यविधिक इतिहास

1.6 न.दि.न.परिषद् ने अपना अपेक्षित समस्त राजस्व (एआरआर) तथा शुल्क याचिका वित्तीय वर्ष 2005-06, वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु प्रस्तुत की तथा माननीय आयोग ने इन याचिकाओं पर शुल्क आदेश पारित किया।

1.7 तत्पश्चात् न.दि.न.परिषद् ने वर्ष 2006-07 हेतु यथा-प्रमाणिक याचिका के साथ वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु प्रथम बहुवर्षीय शुल्क याचिका प्रस्तुत की/माननीय आयोग ने दिनाँक 7 मार्च, 2008 को शुल्क आदेश पारित किया।

1.8 न.दि.न.परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु अस्थाई यथा-प्रमाणिक याचिका तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु अपेक्षित समस्त राजस्व प्रस्तुत किया तथा माननीय आयोग ने जून, 2009 में शुल्क आदेश पारित किया।

1.9 न.दि.न.परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2008-09 हतु अस्थाई यथा-प्रमाणिक याचिका तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु अपेक्षित समस्त राजस्व दिसम्बर, 09 में प्रस्तुत किया। न.दि.न.परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु अस्थाई यथा प्रमाणिक याचिका तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अपेक्षित समस्त राजस्व भी मार्च 2011 में प्रस्तुत किया। माननीय आयोग ने उक्त पर शुल्क आदेश अगस्त, 2011 में पारित किया।

1.10 तत्पश्चात न.दि.न.परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2011-12 ही वार्षिक कार्य समीक्षा तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु यथा-प्रमाणिकता के साथ वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु द्वितोय बहुवर्षीय शुल्क याचिका फरवरी, 2012 में प्रस्तुत की 1 माननीय आयोग ने उक्त पर जुलाई, 2012 में शुल्क आदेश पारित किया।

वर्तमान याचिका

1.11 दि.वि.वि. आयोग के अनुसार बहुवर्षीय शुल्क विनियम 2007, प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु माननीय आयोग द्वारा जारी किया गया, न.दि.न.परिषद् द्वारा नियंत्रण अवधि की समाप्ति पर मूल्यह्रास तथा पूँजीगत नियोक्ता पर रिटर्न की यथा प्रमाणीकरण करने हेतु यथा प्रमाणिक याचिका फाइल करना अपेक्षित है। द्वितोय नियंत्रण अवधि हेतु माननीय आयोग द्वारा जारी दि.वि. वि. आयोग बहुवर्षीय विनियम 2011 अनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु अपेक्षित समस्त राजस्व की समीक्षा के लिए भी याचिका फाइल करना अपेक्षित है। अपने नियमित कर्त्तव्य के अनुपालन में न.दि.न.परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु अपेक्षित समस्त राजस्व की वार्षिक समीक्षा तथा प्रथम नियंत्रण अवधि के व्यय की यथा प्रमाणिकता हेत, यह याचिका फाइल की।

1.12 वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2011-12 की प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु न.दि.न.परिषद् की अपेक्षित समस्त राजस्व की यथा प्रमाणिकता तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु वार्षिक अपेक्षित राजस्व की समीक्षा हेतु माननीय आयोग से अनुमोदन प्राप्त करना याचिका का उद्देश्य है।

1.13 न.दि.न.परिषद् ने माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों में अपेक्षित अनुसार शुल्क याचिका से संबंधित सभी संगत सूचनाओं के संकलन हेतु वास्तविक प्रयास किए तथा यह भी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया कि माननीय आयोग को दी गई सभी सूचनाएँ यथार्थ तथा तथ्यात्मक त्रुटियों से मुक्त है। यद्यपि, इसमें कुछ कमियाँ हो सकती हैं। तथापि, न.दि.न.परिषद् माननीय आयोग से प्रार्थना करती है कि वर्तमान याचिका को फाइल करते हुए दी गई सूचनाओं

को स्वीकार किया जाए। माननीय आयोग द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त स्चना न.दि.न.परिषद् के पास उपलब्ध होने तक उपलब्ध कराई जाएगी।

याचिका की विषय-वस्तु

1.14 न.दि.न.परिषद् ने दि.वि.वि.आयोग द्वारा अधिसूचित चक्रीय शुल्क तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क विनियम, 2011 के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तों में सैद्धांतिक रूपरेखा के आधार पर वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु शुल्क के निर्धारण हेतु शुल्क याचिका तथा उसकी अपेक्षित समस्त राजस्व की समीक्षा के साथ दि.वि.वि. आयोग द्वारा अधिसूचित चक्रीय शुल्क तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क विनियम, 2007 के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तों में सैद्धांतिक रूपरेखा के आधार पर वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु यथा प्रमाणिक याचिका प्रस्तुत कर रही है। न.दि.न.परिषद् ने अपने पिछले रूझानों का अध्ययन किया तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के संभावित कार्यों के अनुमान के आंतरिक तथा बाहरी विकास का संज्ञान लिया।

1.15 निम्नलिखित अनुभाग प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु विभिन्न व्ययों की विस्तृत यथा प्रमाणिकता का विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु निम्नलिखित घटकों की घोषणा करने के आधार:

(i) श्रेणीवार ऊर्जा बिक्री तथा विद्यमान शुल्क पर राजस्व

(ii) संचारण एवं वितरण हानियाँ, समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ तथा ऊर्जा आवश्यकताएँ

(iii) निम्नलिखित लागत, अन्य आय एवं रिटर्न की घोषणा द्वारा अपेक्षित समस्त राजस्व का निर्धारण।

- पॉवर क्रय लागत
- संचालन एवं रखरखाव व्यय
- मूल्यह्रास
- पूँजीगत नियोक्ता पर रिटर्न
- गैर- शुल्क आय

(iv)

2. यथा प्रमाणिक याचिका

प्रस्तावनाः

1.16 याचिका के इस भाग में, न.दि.न.परिषद् वास्तविक आंकडों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु सभी व्ययों की यथा प्रमाणिकता तथा वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु मूल्यह्रास तथा पूँजीगत नियोक्ता पर रिटर्न हेतु यथा प्रमाणिक प्रयोग को ला रही है।

श्रेणीवार बिक्री

1.17 बहुवर्षीय शुल्क विनियम 2007, की धारा 4.2 (एफ) तथा धारा 4.11 की शर्तों में, राजस्व में घट-बढ़/अभियंत्रणीय तथ्यों के संबंध में लागत जैसे बिक्री तथा पॉवर क्रय का वार्षिक यथा प्रमाणीकरण होगा। खुली पहुंच संचारण बिक्री का भाग नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 की ऊर्जा बिक्री को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु संबंधित यथा प्रमाणिक आदेशों मं माननीय आयोग द्वारा यथा प्रमाणोकृत किया गया। श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या, क्नैकटिड लोड तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु वास्तविक ऊर्जा बिक्री निम्न प्रकार दी गई है।

तालिका 1: श्रेणीवार उपभोक्ता विवरण

दिनाँक 31.03.2012 को

क्र. सं.	कनैक्शन की प्रकृति	स्वीकृत लोड	कनैक्शनों की संख्या
1.	घरेलू (लाइट/पंखे/पॉवर एकल सुपदगी प्वांइट)	123,383	43,985
2.	गैर-घरेलू (निम्न दाब) 5 कि.वा. तक	19,594	13.894
3.	100 कि.वा. से अधिक निम्न दाब जहाँ उपभोक्ता द्वारा सब-स्टेशन हेतु निर्मित स्थान उपलब्ध कराया गया है।	119,139	455
4.	गैर-घरेलू (निम्न दाब) 5 कि.वा. से 100 कि.वा.	112,948	7,153
5.	100 कि.वा. से अधिक उच्चदाब (11 कि.वा. पर आपूर्ति)	211,319	308
6.	लघु उद्योग पॉवर (लाइट सहित)	124	10
7.	सार्वजनिक पथ-प्रकाश	1,986	77
8.	न.दि.न.परिषद् कर्मचारी	3,362	2,474
9.	दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन	8,500	1
10.	100 कि.वा. से अधिक निम्न दाब (न.दि.न.परिषद् मेन से)	2,044	15
	कुल	**602,399**	**68,372**

तालिका 2: श्रेणोवार ऊर्जा बिक्री

मिलीयन यूनिट में

क्र. सं.	उपभोक्ता श्रेणी	याचिकादाता की प्रस्तुति	अनुमोदित	वास्तविक
1.	**घरेलू**	**255.15**	**258.88**	**243.89**
	एकल वितरण प्वाइंट	88.4	94.34	86.46
	पृथक वितरण प्वाइंट	146.74	145.87	141.63
	घरेलू पावर	20.02	18.66	15.80
2.	**गैर घरेलू**	**267.81**	**254.89**	**247.70**
	एकल चरण	53.03	50.1	48.95
	तीन चरण	214.78	204.8	198.75
3.	**मिश्रित लोड**	**678.14**	**726.17**	**713.78**
	11 के.वी. (उच्च दाब) की आपूर्ति	466.3	514.96	510.99
	निम्न दाब की आपूर्ति जहाँ आपूर्ति न.दि.न. परिषद् स्टेशनों से दी गई है।	4.45	3.72	3.96
	निम्न दाब की आपूर्ति जहाँ आवेदक सब-स्टेशन हेतु निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराता है।	207.4	207.48	198.83
4.	लघु उद्योग पावर	0.45	0.31	0.31
5.	सार्वजनिक पथ-प्रकाश	10.1	8.81	12.95
6.	अन्य	9.01	8.66	7.69
7.	डीएमआरसी	-	36	20.23
	कुल	**1220.66**	**1293.72**	**1,246.54**

1.18 माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु 1246.54 मिलीयन यूनिट की वास्तविक बिक्री की अनुमति का अनुरोध किया जाता है, तथा तद्नुसार, अपेक्षित पावर क्रय का अनुमोदन किया जाता है।

बिल किया गया राजस्व

1.19 न.दि.न.परिषद् के साथ वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु उपलब्ध वास्तविक सूचना के अनुसार महीनावार बिल किया गया राजस्व की तालिका निम्न प्रकार है:-

तालिका 3: महीनावार ऊर्जा बिक्री

करोड़ में

क्र.सं.	मास	ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार	निम्न दाब अधिभार	कुल
1.	अप्रैल–11	25.98	4.50	0.74	31.23
2.	मई–11	44.97	4.53	0.86	50.36
3.	जून–11	38.31	4.45	1.08	43.84
4.	जुलाई–11	62.18	4.74	1.08	68.01
5.	अगस्त–11	42.17	4.89	1.12	48.18
6.	सितम्बर–11	78.81	5.00	1.19	85.00
7.	अक्टूबर–11	49.64	5.13	0.02	54.79
8.	नवम्बर–11	56.58	5.33	–	61.91
9.	दिसम्बर–11	38.46	5.12	–	43.58
10.	जनवरी–12	53.13	5.85	–	58.98
11.	फरवरी–12	38.47	4.93	–	43.40
12.	मार्च–12	51.54	5.15	–	56.69
13		580.24	59.62	6.10	645.96

संग्रहित राजस्वः

1.20 न.दि.न.परिषद् के साथ वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु उपलब्ध वास्तविक सूचना के अनुसार कुल संग्रहित राजस्व 642.18 करोड़ की तालिका निम्न प्रकार है:-

तालिका 4: संग्रहित राजस्व

करोड़ में

क्र.सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2011-12 (वास्तविक)
1.	शुल्क राजस्व उगाही	533.96
2.	मांग प्रभार उगाही	57.05
3.	निम्न दाब अधिभार संगहण	6.10
4.	कुल	597.11

5.	बकाया संग्रहण (वित्तीय वर्ष 2011-12)	29.94
6.	न.दि.न.परिषद् भवनों द्वारा विद्युत के उपयोग हेतु न. दि.न.परिषद् से अतंरण प्रविष्टि	15.13
7.	कुल संग्रहित शुल्क राजस्व	642.18
8.	बिल किया गया राजस्व	645.96
9.	संग्रहण दक्षता	99.4%

पावर क्रय

1.21 न.दि.न.परिषद् को दादरी टीपीएस, बीटीपीएस तथा प्रगति स्टेशन से पावर आवंटित है। वित्तोय वर्ष 2007-08 से वित्तोय वर्ष 2010-11 के लिए पावर क्रय वर्णित वित्त वर्ष हेतु आदेशों की यथा प्रमाणिकता के संबंध में माननीय आयोग यथा प्रमाणिक है।

1.22 माननीय आयोग द्वारा अनुमोदन के साथ वित्तोय वर्ष 2011-12 के दौरान वास्तविक स्रोतवार पावर क्रय निम्न प्रकार है:

तालिका 5: पावर क्रय

वित्त वर्ष 2011-12 हेतु

क्र. सं.	विवरण	याचिकादाता की प्रस्तुति ;एम्यू मेंद्ध	कुल लागत ; करोड़ मेंद्ध	प्रति यूनिट दर ;द्ध	आदेश में अनुमोदित ;एम्यू मेंद्ध	कुल लागत ; करोड़ में	प्रति यूनिट दर ;द्ध	वास्तविक ;एम्यू मेंद्ध	कुल लागत ; करोड़ मेंद्ध	वास्तविक/ प्रति यूनिट दर ;द्ध
1.	दादरी टीपीएस	803.33	256.43	3.19	830.5	259.69	3.13	736.22	569.22	4.08
2.	बदरपुर टीपीएस	664.8	264.49	3.98	720.03	287.73	4.00	658.81		
3.	प्रगति पॉवर 1	615.6	155.46	2.53	585.51	173.48	2.96	642.90	213.35	3.24
4.	पीपीसीएल-3	396.69	119.01	3.00	74.28	30.23	4.07	14.75		
5.	आईपीजीसीएल-जीटीएस	-	-	-	4.38	1.85	4.22	5.07	2.42	4.78
6.	आईपीजीसीएल-राजघाट	-	-	-	1.98	0.95	4.80			
7.	अन्य ([illegible])	-	-	-	-	-	-	26.23	14.34	5.47
8.	सकल पावर क्रय मात्रा	2480.42	795.39	3.21	2216.68	753.97	3.40	2083.98	799.33	3.84
9.	अन्तर्राज्य संचारण प्रभार	-	-	-	18.68	-	-	-	22.95	-
10.	अन्तर्राज्य संचारण प्रभार	-	-	-	118.76	-	-	-	91.79	-

1.23 माननीय आयोग को 2083.98 मिलीयन यूनिट के वास्तविक सकल पावर क्रय की अनुमति का अनुरोध किया जाता ह।

ऊर्जा आवश्यकता एवं ऊर्जा बकाया

1.24 न.दि.न.परिषद् के लिए सकल ऊर्जा आवश्यकता निम्न प्रकार है:-

तालिका 6: ऊर्जा आवश्यकता एवं ऊर्जा बकाया

मिलियन यूनिट में

क्र. सं.	विवरण	याचिकादाता की प्रस्तुति	बहुवर्षीय शुल्क आदेश में अनुमोदित	वास्तविक
1.	दादरी टीपीएस	803.33	830.50	736.22
2.	बदरपुर टीपीएस	1,677.09	1,386.18	658.81
3.	प्रगति पॉवर 1			642.90
4.	आईपीजीसीएल-जीटीएस			5.07
5.	आईपीजीसीएल- राजघाट			
6.	बवाना	-	-	14.75
7.	द्विपक्षीय/आदान-प्रदान	-	-	26.23
8.	सकल पॉवर क्रय	2,480.42	2,216.68	2,083.99
9.	अन्तर्राज्य संचारण हानि	68.35	33.39	27.07
10.	अन्तर्राज्य संचारण हानि		27.95	26.53
11.	न.दि.न.परिषद् को उपलब्ध पॉवर	2,412.07	2,155.34	2,030.38
12.	आधिक्य पॉवर की बिक्री	1,055.78	724.24	621.79
13.	रिटेल बिक्री हेतु उपलब्ध ऊर्जा	1,356.30	1,431.11	1,408.59
14.	वितरण हानि (%)	10.00%	9.60%	11.51%
15.	वितरण हानि (एमयू)	135.63	137.39	162.06
16.	रिटेल पॉवर की बिक्री	1,220.67	1,293.72	1,246.54

1.25 न.दि.न.परिषद् ने परिषद् परिधि में उपलब्ध ऊर्जा की गणना हेतु अंतर्राज्यीय संचारण हानि 3.55% तथा अन्तर्राज्यीय संचारण हानि 1.29% पर विचार किया। माननीय आयोग को ऊर्जा बकाया पर जो वित्त वर्ष 2011-12 हेतु ऊपर दर्शाया गया है पर विचार करने का अनुरोध किया तथा तद्नुसार, पांवर क्रय लागत को अनुमोदित किया।

समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ

1.26 वित्त वर्ष 2007-08 से वित्त वर्ष 2010-11 के लिए ऊर्जा बिक्री का वर्णित वित्त वर्ष हेतु यथा प्रमाणिक आदेशों के संबंध में माननीय आयोग द्वारा यथा प्रमाणिकरण किया गया।

वित्त वर्ष 2011-12 में, 9.60% अनुमोदित हानि स्तर के स्थान पर वास्तविक संचारण एवं वितरण हानि 11.51% थीं। नीचे दी गई तालिका द्वारा, माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित एवं समीक्षा के स्थान पर न.दि.न.परिषद् की वास्तविक वितरण हानि की तुलना दृष्टिगत होती है:-

तालिका 7: समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2011-12	
			अनुमादित	वास्तविक
1.	न.दि.न.परिषद् परिधि में उपलब्ध ऊर्जा	एमयू	1431.11	1,408.59
2.	न.दि.न.परिषद् द्वारा बेची गई ऊर्जा	एमयू	1293.72	1,246.54
3.	संचारण एवं वितरण हानियाँ	एमयू	137.39	162.06
4.	संचारण एवं वितरण हानियाँ	%	9.60%	11.51%
5.	बिल किया गया राजस्व	करोड़	686.07	645.96
6.	संग्रहित राजस्व	करोड़	686.07	642.18
7.	संग्रहण दक्षता	%	100%	99.4%
8.	समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ	%	9.60%	12.02%

1.27 माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु वास्तविक समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ 12.02% की अनुमति का अनुरोध किया जाता है तथा तद्नुसार, अपेक्षित पावर क्रय का अनुमोदन किया जाता है।

पावर क्रय लागत

1.28 न.दि.न.परिषद् दादरी टीपीएस, बीटीपीएस तथा प्रगति स्टेशन, बवाना टीपीपी तथा अन्य स्रोतों से पॉवर का क्रय करती है। वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 हतु पॉवर क्रय लागत का वर्णित वित्तीय वर्ष हेतु यथा प्रमाणिक आदेशों के संबंध में माननीय आयोग द्वारा यथा प्रमाणिकरण किया गया।

1.29 विभिन्न स्रोतों से गठित पॉवर क्रय लागत वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु न.दि.न.परिषद् की कुल पॉवर क्रय लागत तथा संचारण प्रभार पीजोसीआईएल/डीटीएल/एसएलडोसी इत्यादि को देय है। अनुमोदित, समीक्षा तथा वास्तविक पॉवर क्रय लागत की तुलना नीचे प्रदर्शित की गई है:-

तालिका 8: पॉवर क्रय लागत

वित्त वर्ष 2011-12 हेतु

क्र. सं.	विवरण	याचिकाकर्ता की प्रस्तुति ;एम्यू मेंद्ध	कुल लागत ; करोड़ मेंद्ध	प्रति यूनिट दर ;द्ध	आदेश में अनुमोदित ;एम्यू मेंद्ध	कुल लागत ; करोड़ में	प्रति यूनिट दर ;द्ध	वास्तविक ;एम्यू मेंद्ध	कुल लागत ; करोड़ मेंद्ध	वास्तविक/ प्रति यूनिट दर ;द्ध
1.	दादरी टीपीएस	803.33	256.43	3.19	830.5	259.69	3.13	736.22	569.22	4.08
2.	बदरपुर टीपीएस	664.8	264.49	3.98	720.03	287.73	4.00	658.81		
3.	प्रगति पॉवर 1	615.6	155.46	2.53	585.51	173.48	2.96	642.90	213.35	3.24
4.	पीपीसीएल-3	396.69	119.01	3.00	74.28	30.23	4.07	14.75		
5.	आईपीजीसीएल-जीटीएस	-	-	-	4.38	1.85	4.22	5.07	2.42	4.78
6.	आईपीजीसीएल-राजघाट	-	-	-	1.98	0.95	4.80			
7.	अन्य ([illegible])	-	-	-	-	-	-	26.23	14.34	5.47
8.	सकल पावर क्रय मात्रा	2480.42	795.39	3.21	2216.68	753.97	3.40	2083.98	799.33	3.84
9.	अन्तर्राज्य संचारण प्रभार	-	-	-	18.68	-	-	-	22.95	-
10.	अन्तर्राज्य संचारण प्रभार	-	-	-	118.76	-	-	-	91.79	-

1.30 अनुमोदित तथा वास्तविक पॉवर क्रय व्यय में घट-बढ़ विभिन्न कारणों जैसे पॉवर की लागत में परिवर्तन, क्रय की गई पॉवर की मात्रा में परिवर्तन, देय संचारण प्रभारों में लगातार परिवर्तन तथा आयोग द्वारा विचारणीय संचारण प्रभारों में तथा परिषद् द्वारा वास्तविक भुगतान में अन्तर से है।

तालिका 9: आधिक्य पॉवर बिक्री से राजस्व

क्र.सं.	विवरण	राजस्व (करोड़ में)
1.	निवल आदान-प्रदान/द्विपक्षीय	122.71
2.	निवल अन्तर्राज्यीय डिस्कॉम बिक्री	21.57
	कुल	144.28

1.31 माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु निवल पांवर क्रय लागत 655.05 करोड़ (आधिक्य पॉवर की बिक्री से राजस्व के समंजन के उपरांत) की अनुमति का अनुरोध किया जाता है।

परिचालन एवं रखरखाव व्यय

1.32 न.दि.न.परिषद् के परिचालन एवं रखरखाव व्यय में निम्नलिखित लागत तत्व शामिल हैं:

- कर्मचारी व्यय
- मरम्मत एवं रखरखाव व्यय
- प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय

कर्मचारी लागत

1.33 कर्मचारी व्यय में वेतन, महंगाई भत्ता, अवकाशयात्रा सहायता, अर्जित अवकाश नगदीकरण, अन्य भत्ते एवं राहत बोनस तथा मानदेय/समयोपरि शामिल है।

मरम्मत/ रखरखाव व्यय

1.34 न.दि.न.परिषद् के दिन-प्रतिदिन के वितरण कार्यकलाप की देखरेख में मरम्मत एवं रखरखाव व्यय होता है तथा न.दि.न.परिषद् के उपभोक्ताओं को भरोसेमंद तथा गुणवत्ता पॉवर आपूर्त्ति देने के परिषद् के प्रयासों से एकीकृत भाग का गठन होता है तथा अपनी प्रणाली में हानि में कटौती होती है।

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

1.35 प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय में मुख्य रूप से किराया, दूरभाष तथा अन्य संचार व्यय, व्यवसायिक प्रभार, सवारी एवं यातायात भत्ता, अन्य डेबिट शामिल हैं।

परिचालन एवं रखरखाव व्यय

1.36 वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु परिचालन एवं रखरखाव व्यय, वर्णित वित्तीय वर्ष हेतु यथा प्रमाणिकरण आदेशों के संबंध में माननीय आयोग ने यथा प्रमाणिक किए। न.दि.न.परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु परिचालन एवं रखरखाव व्यय, अपने शुल्क आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार किए।

तालिका 10: परिचालन एव रखरखाव व्यय

करोड़ में

क्र. सं.	परिचालन एवं रखरखाव व्यय	वि. वर्ष 2007-08	वि.वर्ष 2008-09	वि.वर्ष 2009-10	वि.वर्ष 2010-11	वि.वर्ष 2011-12
1.	परिचालन एवं रखरखाव व्यय	77.77	82.52	139.58	116.64	126.64

प्रशासनिक व्यय तथा सिविल अभियंत्रण विभाग व्यय

1.37 विद्युत आपूर्त्ति कार्य को सिविल अभियंत्रण विभाग के नियतन संबंधित, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु दिनाँक 02.11.2005 के अपने शुल्क आदेश में निम्नलिखित वर्णित किया:

''............. जैसा कि, विद्युत विभाग के लिए सिविल अभियंत्रण विभाग द्वारा किए गए कायां की लागत का सही विवरण, इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए अपेक्षित समस्त राजस्व के निर्धारण के उद्देश्य हेतु, इस व्यय के सामने अस्थाई आधार पर एक मुश्त राशि 1,000 लाख पर विचार किया। आयोग वर्ष के अंत में, प्रमाणोकरण प्रक्रिया के दौरान समुचित विद्युत हेतु सिविल अभियंत्रण विभाग द्वारा किए गए कार्यो की लागत पर विचार करेगा।

चूँकि न.दि.न.परिषद् द्वारा विद्युत वितरण कार्य के संबंध में सिविल अभियंत्रण विभाग द्वारा बाँटे गए व्यय को अभी पृथक किया जाना है, इसलिए, न.दि.न.परिषद् आयोग को इस शीर्ष के स्थान पर समान 10 करोड़ की राशि पर विचार करने का अनुरोध करती है।

1.38 पुन: उक्त के तथा प्रशासनिक विभाग व्यय को आवंटन के संबंध में, आयोग ने समान शुल्क आदेश में निम्नलिखित वर्णित किया-

''...... इसलिए, कुल प्रशासनिक विभाग व्यय का 19%, विद्युत विभाग को नियतन रखने पर विचार करते समय, राशि ....''

1.39 तद्नुसार, न.दि.न.परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अपने विद्युत वितरण कार्य के लिए इसके प्रशासनिक विभाग के वेतन शीर्ष का 19% नियतन रखने पर विचार किया। इस शीर्ष के स्थान पर व्यय का नियतन 109.47 करोड़ हैं माननीय आयोग न.दि.न.परिषद् के विद्युत कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु वास्तविक प्रशासनिक व्यय तथा सिविल अभियंत्रण विभाग व्यय 119.47 करोड़ का अनुमोदन करने का अनुरोध करती है।

तालिका 11: प्रशासनिक एवं सिविल अभियंत्रण विभाग व्यय

करोड़ में

क्र. सं.	प्रशासनिक एवं सिविल अभियंत्रण विभाग व्यय	न.दि.न.परिषद् की प्रस्तुति	आयोग द्वारा अनुमोदित	वि.वर्ष 2011-12 हेतु वास्तविक
1.	न.दि.न.परिषद् बजट के अनुसार सामान्य प्रशासनिक व्यय	-	-	576.14
2.	न.दि.न.परिषद् की विद्युत आपूर्त्ति व्यवसाय हेतु	72.03	35.37	109.47

	19% की दर से प्रशासन संबंधी व्ययों का नियतन			
3.	सिविल अभियंत्रण विभाग की लागत	10.00	10.00	10.00
4.	विद्युत वितरण व्यवसाय हेतु प्रशासनिक एवं सिविल अभियंत्रण विभाग का कुल नियतन।	**82.03**	**45.37**	**119.47**

सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ

1.40 न.दि.न.परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (जीएफए) प्रारंभिक मूल्य, प्रगति में पूँजीगत कार्य, शुल्क आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार, पर विचार किया। वास्तविक पूँजीगत व्यय तथा पूँजीकरण, प्रत्येक वर्ष सकल निर्धारित परिसम्पत्तियों पर पहुँचती है। प्रत्येक वर्ष में, प्रारंभिक स्थाई परिसम्पत्तियाँ, प्रगति में प्रारंभिक पूँजीगत कार्य, पूँजीगत व्यय, वास्तविक आधार पर प्रत्येक वर्ष हेतु प्रगति में समाप्त पूँजीगत कार्य तथा समाप्त स्थाई परिसम्पत्तियाँ, निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

तालिका 12: सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ

करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	वि.वर्ष 2006-07	वि.वर्ष 2007-08	वि.वर्ष 2008-09	वि.वर्ष 2009-10	वि.वर्ष 2010-11	वि.वर्ष 2011-12
1.	प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ	327.57	343.14	406.50	561.62	763.38	927.47
2.	सीडब्ल्यूआईपी आरंभन	19.98	22.56	40.80	114.32	87.44	76.65
3.	पूँजीगत व्यय	18.15	81.60	228.64	174.88	153.30	149.08
4.	पूँजीकरण	15.57	63.36	155.12	201.76	164.09	122.56
5.	सीडब्ल्यूआईपी का समापन	22.56	40.80	114.32	87.44	76.65	103.17
6.	सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का समापन	343.14	406.50	561.62	763.38	927.47	1,050.03

मूल्यह्रास

1.41 मूल्यह्रास, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में, औसत सकल स्थाई परिसम्पत्तियों पर सीधी (स्ट्रेट-लाइन) पद्धति के आधार पर वसूला जाता है। मूल्यह्रास मूल लागत, अनुमानित जीवन, शेष जीवन पर आधारित होता है। नियंत्रण अवधि हेतु मूल्यह्रास नियंत्रण अवधि के लिए अपने शुल्क आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार मूल्यह्रास लागू करते हुए निर्धारित किया जाता है। माननीय आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यविधि के अनुसार, मूल्यह्रास की वर्ष के दौरान, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का औसतन 3.6% की

गणना की गई। निम्नलिखित तालिका में न.दि.न.परिषद् द्वारा दावा किए गए मूल्यह्रास का संक्षिप्त विवरण है:-

तालिका 13: मूल्यह्रास

करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	वि.वर्ष 2007-08	वि.वर्ष 2008-09	वि.वर्ष 2009-10	वि.वर्ष 2010-11	वि.वर्ष 2011-12
1.	नियत परिसम्पत्तियों का अथशेष	343.14	406.50	561.62	763.38	927.47
2.	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	63.36	155.12	201.76	164.09	122.56
3.	वर्ष के दौरान सेवानिवृत	-	-	-	-	-
4.	नियत परिसम्पत्तियों का समापन शेष	406.50	561.62	763.38	927.47	1,050.03
5.	औसत नियत परिसम्पत्तियाँ	374.82	484.06	662.50	845.43	988.75
6.	मूल्यह्रास की दर	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%
7.	मूल्यह्रास	**13.49**	**17.43**	**23.85**	**30.44**	**35.60**
8.	संचयित मूल्यह्रास (समापन)		270.17	294.02	324.46	360.05
9.	निवल ब्लॉक		291.45	469.36	603.01	689.98

कार्यकारी पूँजी

1.42 माननीय आयोग ने प्रथम नियंत्रण अवधि के बहुवर्षीय शुल्क विनियम 2007 में वितरण लाइसेंसो हेतु कार्यकारी पूँजी आवश्यकता के निर्धारण हेतु मानकों का ब्यौरा दिया है। न.दि.न. परिषद् ने बहुवर्षीय शुल्क विनियम, 2007 में ब्यौरागत मानकों के अनुसार इसकी गणना को है। कार्यकारी पूँजी आवश्यकता की गणना के लिए, एक मास हेतु वास्तविक निवल पॉवर क्रय व्यय, दो मास हेतु प्राप्तव्य तथा न.दि.न.परिषद् के एक मास के विद्युत व्यवसाय हेतु वास्तविक परिचालन एवं रखरखाव व्यय पर विचार किया गया। प्रथम नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु कार्यकारी पूँजी की गणना तथा उपयोग किए गए मानक नीचे दिए गए हैं:-

विवरण	गणना हेतु मानक
विद्युत की फुटकर आपूर्ति हेतु कार्यकारी पूँजी	डब्ल्यू सी= विद्युत की बिक्री से दो मास के राजस्व हेतु प्राप्तव्य + एक मास हेतु परिचालन तथा रखरखाव व्यय - एक मास हेतु पॉवर क्रय लागत
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (चक्रीय शुल्क तथा खुदरा आपूर्त्ति शुल्क के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2007	

तालिका 14: कार्यकारी पूँजी

करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	वि.वर्ष 2007-08	वि.वर्ष 2008-09	वि.वर्ष 2009-10	वि.वर्ष 2010-11	वि.वर्ष 2011-12
1.	परिचालन एवं रखरखाव व्यय	77.77	82.52	139.58	116.64	126.64
2.	कुल परिचालन एवं रखरखाव व्ययों का 1/12	6.48	6.88	11.63	9.72	10.55
3.	प्राप्तव्य	300.46	241.53	650.76	801.54	1,127.99
4.	प्राप्तव्य, 2 मास के औसत बिल के समकक्ष	50.08	40.25	108.46	133.59	188.00
5.	पॉवर क्रय व्यय	175.55	39.84	314.62	507.26	655.05
6.	कमः पॉवर क्रय व्यय का 1/12	14.63	3.32	26.22	42.27	54.59
7.	कमः उपभोक्ता सुरक्षा जमा	25.43	26.56	27.75	28.99	28.99
8.	कुल कार्यकारी पूँजी	16.50	17.25	66.12	72.05	114.97

पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न

1.43 न.दि.न.परिषद् ने माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया कि परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उसके द्वारा खर्च किया गया पूँजीगत व्यय, अपने बजट संबंधी समर्थन तथा आन्तरिक उपार्जन के द्वारा पूरा व्यय हो गया है। इसने परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु किसी प्रकार के ऋण का उपयोग नहीं किया है। न.दि.न.परिषद् ने पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न हेतु मानक-संबंधी इक्विटो अनुपात पर विचार किया। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित चक्रीय शुल्क तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क विनियम, 2007 के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तो के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए इक्विटी पर रिटर्न की दर 16% रखी गई है। प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए इसके बहुवर्षीय शुल्क, शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु डेबिट पर रिटर्न की दर उसी स्तर पर रखी गई है। विनियमित दर आधार, का विस्तृत परिकलन, कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन, पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न के अनुमान को बढ़ाने हेतु डब्ल्यू.ए.सी.सी. निम्न तालिका में दिया गया है:-

तालिका 15: पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न

करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	वि.वर्ष 07	वि.वर्ष 08	वि.वर्ष 09	वि.वर्ष 10	वि.वर्ष 11	वि.वर्ष 12
1.	ओसीएफए का अथशेष	343.14					
2.	कार्यकारी पूँजी का अथशेष	8.18					
3.	संचयित मूल्यह्रास का अथशेष	239.25					
4.	आर बी (आरम्भन)		112.07	170.25	308.70	535.48	675.06
5.	△ ए बी		49.87	137.69	177.91	133.65	86.97
6.	वर्ष में निवेश		63.36	155.12	201.76	164.09	122.56
7.	मूल्यह्रास		13.49	17.43	23.85	30.44	35.60
8.	उपभोक्ता अंशदान		–	–	–	–	–
9.	डब्ल्यूसी में परिवर्तन		8.32	0.75	48.87	5.93	42.93
10.	आर बी (समाप्त)	112.07	170.25	308.70	535.48	675.06	804.95
11.	विनियमित दर आधार (आरआरबीई)		145.32	239.85	446.53	608.24	761.47
12.	इक्विटी		30%	30%	30%	30%	30%
13.	डेबट		70%	70%	70%	70%	70%
14.	इक्विटी पर रिटर्न की दर		16.00%	16.00%	16.00%	16.00%	16.00%
15.	डेबट पर रिटर्न की दर		11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%
16.	डब्ल्यूएसीसी		12.85%	12.85%	12.85%	12.85%	12.85%
17.	पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न		18.67	30.82	57.38	78.16	97.85

गैर शुल्क आय

1.44 वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु गैर-शुल्क आय, वर्णित वित्तीय वर्ष हेतु संबंधित यथा प्रमाणोकरण आदेशों में माननीय आयोग ने यथा प्रमाणोकरण किया। न.दि.न.परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु वास्तविकताओं के अनुसार विद्युत की बिक्री से गैर-शुल्क आय पर विचार किया। न.दि.न.परिषद् माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु गैर शुल्क आय 21.35 करोड़ का अनुमोदन करने का अनुरोध करती है।

तालिका 16: वि. वर्ष 2011-12 हेतु गैर-शुल्क आय

करोड़ में

क्र. सं.	वि. वर्ष 2011-12 के विवरण	याचिका में दायर अनुसार	बहुवर्षीय शुल्क आदेश में अनुमोदित	वास्तविक
1.	मीटर किराया	1.53	1.53	0.00
2.	एमडीआई	0.94	0.94	11.09
3.	दुरूपयोग	3.51	3.51	3.68
4.	जल हुए मीटर	0.04	0.04	0.03
5.	अधिभार	0.45	0.45	0.98
6.	नए कनैक्शन/पुन: कनैक्शन फीस	0.29	0.29	0.27
7.	भंडार प्रभारों की वसूली	0.91	0.91	-
8.	जमा कार्य की वसूली	0.56	0.56	4.06
9.	त्रुटि जमा से अन्य आय	1.63	1.63	-
10.	अन्य प्राप्तियाँ (साधारण मद व्यवसायिक)	0.27	0.27	1.23
	कुल	**10.13**	**10.13**	**21.35**

पॉवर की बिक्री से अपेक्षित समस्त राजस्व एवं राजस्व

1.45 वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु पावर की बिक्री से राजस्व, माननीय आयोग ने वर्णित वित्तीय वर्ष हेतु यथा प्रमाणोकरण आदेशों के संबंध में यथा पमाणिक किया। प्रथम नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु अपेक्षित समस्त राजस्व, पॉवर की बिक्री से राजस्व तथा प्रत्येक वर्ष हेतु आधिक्य/विषमता निम्नलिखित अनुभागों में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु राजस्व आधिक्य/विषमता

1.46 वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु अपेक्षित समस्त राजस्व के निर्धारण हेतु पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न तथा मूल्यह्रास के अलावा सभी घटकों पर, वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु अपने प्रमाणोकरण आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार समान है। वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु मूल्यह्रास की गणना, पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न तथा कार्यकारी पूँजी तालिका 13, तालिका 14 तथा तालिका 15 पर प्रदर्शित है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का विद्युत की बिक्री से प्राप्त वास्तविक राजस्व राशि 483.46 करोड़ है, जो कि वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु प्रमाणोकरण आदेशों में माननीय आयोग द्वारा समान है। न.दि.न.परिषद् ने प्रस्तुत किया कि वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान वास्तविक व्यय तथा राजस्व पर आधारित समस्त आधिक्य 183 करोड़ है। यह निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 17: वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु राजस्व विषमता

करोड़ में

क्र. सं.	अपेक्षित समस्त राजस्व	यथा-प्रमाणिकता में अनुमोदित	अंतिम यथा-प्रमाणिकता
1.	पॉवर क्रय लागत	175.55	175.55
2.	अन्तर्राज्यीय संचारण प्रभार (एसएलडीसी प्रभारों सहित)	15.46	15.46
3.	परिचालन एवं रखरखाव लागत	77.77	77.77
4.	विद्युत को नियतन प्रशासनिक व सिविल इंजीनियरिंग विभाग व्यय	45.37	45.37
5.	पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न सहित आपूर्ति मार्जिन अनुमति प्राप्त	17.74	18.67
6.	मूल्यह्रास	13.49	13.49
7.	हानिः गैर शुल्क आय	3.59	3.59
8.	हानिः समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों की गैर-उपलब्धि के संबंध में वित्तीय प्रभाव	20.38	20.38
9.	हानिः वित्तीय वर्ष 06-07 हेतु आधिक्य'	21.89	21.89
11.	अपेक्षित समस्त राजस्व	**299.52**	**300.46**
12.	पॉवर की बिक्री से राजस्व	483.46	483.46
13.	राजस्व आधिक्य/(विषमता)	**183.94**	**183.00**

वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु राजस्व आधिक्य/विषमता

1.47 वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए अपेक्षित समस्त राजस्व के निर्धारण हेतु पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न तथा मूल्यह्रास के अलावा सभी घटक, वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु यथा प्रमाणोकरण आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार समान है। वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु मूल्यह्रास की गणना, पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न तथा कार्यकारी पूँजी तालिका 13, तालिका 14 तथा तालिका 15 पर प्रदर्शित है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का पॉवर की बिक्री से प्राप्त वास्तविक राजस्व राशि 519.57 करोड़ है जा वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु प्रमाणोकरण आदेशों में माननीय आयोग द्वारा समान है। न.दि.न.परिषद् ने प्रस्तुत किया कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान वास्तविक व्यय तथा राजस्व पर आधारित समस्त आधिक्य 278.14 करोड़ है। यह निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 18: वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु राजस्व विषमता

करोड़ में

क्र. सं.	अपेक्षित समस्त राजस्व	यथा-प्रमाणिकता में अनुमोदित	अंतिम यथा-प्रमाणिकता
1.	निवल पॉवर क्रय लागत	39.84	39.84
2.	अन्तर्राज्यीय संचारण प्रभार	33.79	33.79
3.	परिचालन एवं रखरखाव व्यय	82.52	82.52
4.	विद्युत को नियतन प्रशासनिक व सिविल इंजीनियरिंग विभाग व्यय	45.37	45.37
5.	पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न सहित आपूर्ति मार्जिन अनुमति प्राप्त	29.79	30.82
6.	मूल्यह्रास	17.43	17.43
7.	हानि: गैर शुल्क आय	8.24	8.24
8.	अपेक्षित समस्त राजस्व	**240.50**	**241.53**
9.	पॉवर की बिक्री से राजस्व	519.67	519.67
10.	राजस्व आधिक्य/(विषमता)	**279.17**	**278.14**

वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु राजस्व आधिक्य/विषमता

1.48 वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए अपेक्षित समस्त राजस्व के निर्धारण हेतु पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न तथा मूल्यह्रास के अलावा सभी घटक, वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु यथा-प्रमाणीकरण आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार समान है। वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु मूलयह्रास की गणना, पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न तथा कार्यकारी पूँजी तालिका 13, तालिका 14 तथा तालिका 15 पर प्रदर्शित है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का पॉवर की बिक्री से प्राप्त वास्तविक राजस्व राशि 519.76 करोड़ है, जो वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु प्रमाणोकरण आदेशों में माननीय आयोग द्वारा समान है। न.दि.न.परिषद् ने प्रस्तुत किया कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान वास्तविक व्यय तथा राजस्व पर आधारित समस्त विषमता 131.00 करोड़ है। यह निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया ह:

तालिका 19: वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु राजस्व विषमता

करोड़ में

क्र. सं.	अपेक्षित समस्त राजस्व	यथा-प्रमाणिकता में अनुमोदित	अंतिम यथा-प्रमाणिकता
1.	निवल पॉवर क्रय लागत	314.62	314.62
2.	अन्तर्राज्यीय संचारण प्रभार	43.84	43.84
3.	परिचालन एवं रखरखाव व्यय	139.58	139.58
4.	विद्युत को नियतन प्रशासनिक व सिविल इंजीनियरिंग विभाग व्यय	45.37	45.37
5.	पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न सहित आपूर्ति मार्जिन अनुमति प्राप्त	48.42	57.38
6.	मूल्यह्रास	23.85	23.85
7.	हानिः गैर शुल्क आय	9.19	9.19
8.	डीटीएल दावा	35.31	35.31
9.	अपेक्षित समस्त राजस्व	**641.70**	**650.76**
10.	पॉवर की बिक्री से राजस्व	519.76	519.76
11.	राजस्व आधिक्य/(विषमता)	**(121.94)**	**(131.00)**

वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु राजस्व आधिक्य/विषमता

1.49 वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अपेक्षित समस्त राजस्व के निर्धारण हेतु पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न तथा मूल्यह्रास के अलावा सभी घटक, वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु यथा प्रमाणोकरण आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार समान है। वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु मूल्यह्रास ही गणना, पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न तथा कार्यकारी पूँजी तालिका 13, तालिका 14 तथा तालिका 15 पर प्रदर्शित है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का पॉवर की बिक्री से प्राप्त वास्तविक राजस्व राशि 598.64 जा वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु प्रमाणोकरण आदेशों में माननीय आयोग द्वारा समान है। न.दि.न.परिषद् ने प्रस्तुत किया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान वास्तविक व्यय तथा राजस्व पर आधारित समस्त विषमता 202.90 करोड़ है। यह निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 20: वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु राजस्व विषमता

करोड़ में

क्र. सं.	अपेक्षित समस्त राजस्व	यथा-प्रमाणिकता में अनुमोदित	अंतिम यथा-प्रमाणिकता
1.	निवल पॉवर क्रय लागत	507.26	507.26
2.	अन्तर्राज्यीय संचारण प्रभार	41.72	41.72
3.	परिचालन एवं रखरखाव व्यय	116.64	116.64
4.	विद्युत को नियतन प्रशासनिक व सिविल इंजीनियरिंग विभाग व्यय	45.37	45.37
5.	पूँजीगत कर्मचारियों पर रिटर्न सहित आपूर्ति मार्जिन अनुमति प्राप्त	66.37	78.16
6.	मूल्यह्रास	30.04	30.44
7.	हानि: गैर शुल्क आय	18.04	18.04
8.	**अपेक्षित समस्त राजस्व**	**789.36**	**801.54**
9.	पॉवर की बिक्री से राजस्व	598.64	598.64
10.	**राजस्व आधिक्य/(विषमता)**	**(190.72)**	**(202.90)**

वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु राजस्व आधिक्य/विषमता

1.50 वित्तोय वर्ष 2011-12 के दौरान, विद्युत व्यवसाय के लिए अपेक्षित समस्त राजस्व 1145.07 करोड़ है। न.दि.न.परिषद् की पॉवर की बिक्री से प्राप्त वास्तविक राजस्व राशि 634.32 करोड़ है। न.दि.न.परिषद् ने प्रस्तुत किया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान वास्तविक व्यय तथा राजस्व पर आधारित समस्त विषमता 485.81 करोड़ है। यह निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 21: वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु राजस्व विषमता

करोड़ में

क्र. सं.	वार्षिक राजस्व अपेक्षा	शुल्क पेटीशन के अनुसार	बहुवर्षीय शुल्क आदेश में अनुमोदित	वास्तविक
1.	निवल पावर क्रय लागत	477.90	493.21	655.05
2.	अन्तर्राज्यीय संचारण प्रभार		18.68	22.95
3.	अन्तर्राज्यीय संचारण प्रभार		118.76	91.79
4.	परिचालन एवं रखरखाव व्यय	190.49	126.64	126.64
5.	मूल्यह्रास	33.87	34.63	35.60

6.	आरओसीई	79.24	80.41	97.85
7.	प्रशासनिक विभाग एवं सिविल इंजीनियरिंग विभाग	82.03	45.37	119.47
8.	कमः गैर-शुल्क आय	10.13	10.13	21.35
9.	**कुल लागत**	**853.40**	**907.57**	**1,127.99**
10.	कर्मचारी लागत पूँजीकृत	-	10.01	-
11.	**वार्षिक राजस्व अपेक्षा**	**853.40**	**897.56**	**1,127.99**
12.	पावर की बिक्री से राजस्व	608.68	686.07	642.18
13.	**राजस्व आधिक्य/(विषमता)**	**(244.72)**	**(211.49)**	**(485.81)**

1.51 न.दि.न.परिषद् माननीय आयोग से अपने प्रस्तुतीकरण तथा वित्तीय स्थिति पर संपूर्णतावादी विचार रखने तथा अपने प्रचालन संबंधी कार्यक्षमता में सुधार करने के अपेक्षित स्त्रोतों पर विचार करने का अनुरोध करती है।

रखाव लागत सहित प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु राजस्व विषमता

1.52 माननीय आयोग ने प्रथम नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु उपरोक्त वर्णित राजस्व आधिक्य/विषमता के अनुमोदन करने तथा उक्त की वसूली हेतु कार्यप्रणाली के सुझाव का अनुरोध किया है। न.दि.न.परिषद् ने समस्त नियंत्रण अवधि हेतु 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर रखाव लागत पर विचार किया जाता है। जैसाकि माननीय आयोग द्वारा अपने पूर्ववर्ती शुल्क आदेशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। माननीय आयोग 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर इसकी रखाव लागत सहित राजस्व विषमता वसूलने के लिए न.दि.न.परिषद् को अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

तालिका 22: प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु राजस्व विषमता

करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	वि.वर्ष 2007-08	वि.वर्ष 2008-09	वि.वर्ष 2009-10	वि.वर्ष 2010-11	वि.वर्ष 2011-12
1.	प्रारंभिक (विषमता)/आधिक्य	21.89	238.59	552.62	467.89	299.80
2.	वर्ष हेतु वार्षिक राजस्व अपेक्षा	278.57	241.53	650.76	801.54	1,127.99
3.	वर्ष हेतु राजस्व	483.46	519.67	519.76	598.64	642.18
4.	वर्ष हेतु आधिक्य/(विषमता)	204.89	278.14	(131.00)	(202.90)	(485.81)
7.	अंतिम राजस्व (विषमता)/आधिक्य	226.78	516.74	421.62	264.99	(186.01)
8.	रखाव लागत (प्रतिशत)	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%
9.	वर्ष हेतु रखाव लागत	11.81	35.88	46.28	34.81	5.41

11.	समापन राजस्व (विषमता)/आधिक्य	238.59	552.62	467.89	299.80	(180.60)
12.	विनियमित परिसम्पत्ति का ऋण मुक्ति (परिशोधन)	–	–	–	–	–
13.	निवल राजस्व (विषमता)/ आधिक्य	238.59	552.62	467.89	299.80	(180.60)

1.53 माननीय आयोग से प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु रखाव लागत सहित 180.60 करोड़ की निवल विषमता के अनुमोदन का अनुरोध किया जाता है।

3. वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु अपेक्षित समस्त राजस्व।

वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु बिक्री योजना

1.54 विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों हेतु 5 वर्ष चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु ऊर्जा बिक्री की योजना है। लाइसैंस प्राप्त क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु 1403.78 मिलीयन यूनिट तथा 1483.67 मिलीयन यूनिट क्रमशः ऊर्जा बिक्री की योजना की गई है। लाइसैंस प्राप्त क्षेत्र में मुख्य संस्थापनाओं को विश्वसनीय तथा गुणत्ता पावर उपलब्ध कराने के लिए, पेटीशनर आयोग से उक्त के अनुमोदन का अनुरोध करता है। 9 मासों के वास्तविक डाटा पर आधारित वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु अनुमानित श्रेणीवार बिक्री तथा योजना श्रेणीवार बिक्री वित्तीय वर्ष 2013-14 नीचे तालिका में दी गई है।

तालिका 23: श्रेणीवार ऊर्जा बिक्री

	वि.व. 2007-08 ;वास्तविकद्ध	वि.व. 2008-09 ;वास्तविकद्ध	वि.व. 2009-10 ;वास्तविकद्ध	वि.व. 2010-11 ;वास्तविकद्ध	वि.व. 2011-12 ;वास्तविकद्ध	वि.व. 2012-13 ;अप्रै-दिद्ध	वि.व. 2012-13 ;अनुमानितद्ध	सीएजीआर	वि.व. 2013-14 ;वास्तविकद्ध
घरेलू	220	208.98	223.41	239.13	243.89	206.74	275.66		291.72
सिंगल डिलिवरी प्वाइंट	70	69.21	74.76	84.02	86.46	73.29	97.72	7÷	104.70
पृथक डिलिवरी प्वाइंट 100 कि.वा. तक	129	120.53	129.54	136.10	141.63	120.06	160.08	6÷	169.43
घरेलू पवर 100 कि.व. तक	21	19.24	19.11	19.01	15.80	13.39	17.86	-1÷	17.60
गैर घरेलू	246	250.81	249.63	250.84	247.70	208.30	277.73		284.25
5 कि.वा. तक	53	51.15	50.68	50.85	48.95	55.68	74.25	8÷	79.99
5 कि.वा. से अधिक 100 कि.वा. से कम	193	199.66	198.95	199.98	198.75	152.61	208.48	0÷	204.26
मिक्स्ड लोड	605	589.11	652.46	698.57	713.78	597.95	797.27		849.53
11 के.वी. ;एचवीद्ध पर आपूर्ति		387.33	439.23	483.06	510.99	436.90	582.53	9÷	632.07
एलवि पर आपूर्ति जहाँ न.दि.न.परिषद् सब स्टेशन से आपूर्ति दी जाती है।	605	4.82	4.36	4.24	3.96	2.96	3.94	-4÷	3.79
एलवि पर आपूर्ति जहाँ आवेदक सब स्टेशन हेतु निर्मित स्थल उपलब्ध कराता है।		196.95	208.86	206.28	198.83	158.10	210.80	1÷	213.68
लघु उद्योग पावर	0	0.27	0.35	0.32	0.31	0.24	0.32	4÷	0.33
सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	8	8.73	9.19	8.37	12.95	6.08	8.10	-1÷	7.98
अन्य	4	6.50	7.08	9.50	7.69	7.01	9.35	8÷	10.05
दि.मे. रेल निगम	-	-	-	-	20.23	26.52	35.36		40.00
कुल	1,083	1,064.40	1,142.12	1,201.73	1,246.54	1,052.84	1,408.78	6÷	1483.67

पॉवर क्रय

1.55 न.दि.न.परिषद् थरमल पावर प्लांट दादरी टीपीएस, बीटीपीएस तथा प्रगति स्टेशन से पॉवर को बाँटती है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2013-14 के पॉवर क्रय पर विचार किया गया जैसाकि द्वितीय नियंत्रण अवधि हेतु अपने बहुवर्षीय शुल्क आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।

1.56 वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु न.दि.न.परिषद् की कुल पॉवर क्रय लागत में विभिन्न स्त्रोतों से पॉवर क्रय लागत तथा पीजीसीआईएल/डीटीएल को देय संचारण प्रभार तथा एसएलडीसी/आरएलडीसी को देय अन्य प्रभार होते हैं।

तालिका 24: पॉवर क्रय लागत

क्र. सं.	**स्त्रोत**	**वित्तीय वर्ष 2012-13**		**वित्तीय वर्ष 2013-14**	
		मिलीयन यूनिट	**करोड़ में**	**मिलीयन यूनिट**	**करोड़ में**
1.	बदरपुर टीपीएस	675.23	316.98	675.23	329.87
2.	एनसीटीपीएस दादरी	798.45	307.77	798.45	322.87
3.	राजघाट पॉवर हाऊस	2.11	1.05	2.11	1.09
4.	गैस टरबाइन पॉवर स्टेशन	4.99	2.05	4.99	2.14
5.	पीपीसीएल-1	620.41	202.3	620.41	209.33
6.	पीपीसीएल-3	326.13	146.76	722.97	325.34
7.	**कुल यूनिट**	**2427.33**	**976.92**	**2824.17**	**1190.65**
8.	अन्तर्राज्यीय संचारण प्रभार		21.04		22.10
9.	अन्तर्राज्यीय संचारण प्रभार		74.03		62.66
10.	एसएलडीसी प्रभार		5.87		6.16
11.	आधिक्य पॉवर की बिक्री		237.85		325.94
	कुल		**840.01**		**955.63**

1.57 संचारण प्रभार पीजीसीआईएल/डीटीएल को देय संचारण प्रभार तथा एसएलडीसी/आरएलडीसी को देय अन्य भुगतानों पर उसी प्रकार विचार किया गया है जैसाकि द्वितीय नियंत्रण अवधि हेतु माननीय आयोग द्वारा अपने बहुवर्षीय शुल्क आदेश में अनुमोदित किया गया।

1.58 बाह्य बिक्री हेतु उपलब्ध आधिक्य पॉवर तालिका 4 में ऊर्जा शेष में योजना है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आधिक्य पॉवर की बिक्री की वास्तविक दर 2.42 प्रति यूनिट है। मार्किट को और अधिक यथार्थवादी बनाने पर विचार करते हुए, निकट भविष्य में न.दि.न.परिषद् ने आधिक्य ऊर्जा की बिक्री की प्रचलित दर पर आधारित 3 प्रति यूनिट की दर पर आधिक्य पॉवर की बिक्री पर विचार किया है। तद्नुसार आधिक्य पॉवर की बिक्री से उपलब्ध राजस्व को न.दि.न.परिषद् की पॉवर क्रय लागत के बदले समंजित किया गया है।

1.59 माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु 840.01 करोड़ तथा 955.63 करोड़ की पॉवर क्रय लागत (संचारण प्रभार सहित) की अनुमति का अनुरोध किया जाता है।

ऊर्जा अपेक्षा तथा ऊर्जा शेष

1.60 न.दि.न.परिषद् ने विभिन्न स्त्रोतों से पॉवर क्रय की मात्रा, वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्राज्यीय संचारण हानि पर विचार उसी प्रकार किया गया है। जैसाकि द्वितीय नियंत्रण अवधि हेतु अपने बहुवर्षीय शुल्क आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। न.दि.न.परिषद् हेतु सकल ऊर्जा अपेक्षा इस प्रकार है:-

तालिका 25: ऊर्जा अपेक्षा तथा ऊर्जा शेष

मिलीयन यूनिट में

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2012-13		वित्तीय वर्ष 2013-14	
		अनुमोदित	योजना	अनुमोदित	योजना
1.	बदरपुर टीपीएस	675.23	675.23	675.23	675.23
2.	एनसीटीपीएस दादरी	798.45	798.45	798.45	798.45
3.	राजघाट पॉवर हाऊस	2.11	2.11	2.11	2.11
4.	गैस टरबाइन पॉवर स्टेशन	4.99	4.99	4.99	4.99
5.	पीपीसीएल-1	620.41	620.41	620.41	620.41
6.	पीपीसीएल-3	326.13	326.13	722.97	722.97
7.	सकल पॉवर क्रय	2427.33	2427.33	2824.17	2824.17
8.	अन्तर्राज्यीय संचारण हानि	39.92	39.92	54.01	54.01
9.	अन्तर्राज्यीय संचारण हानि	28.72	28.72	33.33	33.33
10.	न.दि.न.परिषद् के पास उपलब्ध पॉवर	2358.69	2358.69	2736.83	2736.83
11.	खुदरा पॉवर की बिक्री	1253.43	1403.78	1317.43	1483.67
12.	वितरण हानि (%)	10.35%	10.35%	10.10%	10.10%
13.	वितरण हानि (मि.यू.)	144.71	162.07	148.01	166.69
14.	खुदरा बिक्री हेतु अपेक्षित ऊर्जा	1398.14	1565.85	1465.44	1650.36
15.	बिक्री हेतु उपलब्ध आधिक्य पॉवर	960.55	792.84	1271.39	1086.47

1.61 माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु उपरोक्त दर्शित अनुसार ऊर्जा शेष पर विचार करने तथा तद्नुसार पॉवर क्रय लागत के अनुमोदन का भी अनुरोध किया जाता है।

समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि

1.62 न.दि.न.परिषद् ने संचारण तथा वितरण हानि की योजना उसी स्तर पर की है जैसाकि माननीय आयोग द्वारा द्वितीय नियंत्रण अवधि हेतु अपने शुल्क आदेश में अनुमोदित है। न.दि.न.परिषद् ने 99 प्रतिशत पर संग्रहण कार्यक्षमता की योजना की है जैसाकि द्वितीय नियंत्रण अवधि हेतु अपने बहुवर्षीय शुल्क याचिका में योजना की है। निम्न तालिका न.दि.न.परिषद् द्वारा योजित तथा माननीय आयाग द्वारा अनुमोदित न.दि.न.परिषद् की समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि की तुलना को दर्शाती है।

तालिका 26: समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2012-13		वित्तीय वर्ष 2013-14	
		अनुमोदित	योजित	अनुमोदित	योजित
1.	वितरण हानि लक्ष्य	10.35%	10.35%	10.10%	10.10%
2.	संग्रहण दक्ष लक्ष्य	100.00%	99.00%	100.00%	99.00%
3.	समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि	10.35%	11.25%	10.10%	11.00%

1.63 माननीय आयोग वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु 11.25 प्रतिशत तथा 11 प्रतिशत की समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि की योजना की अनुमति तथा तद्नुसार पॉवर क्रय अपेक्षा के अनुमोदन तथा ऊर्जा की बिक्री से राजस्व का अनुरोध करता है।

प्रचालन एवं रखरखाव व्यय

1.64 कम्पनी के प्रचालन एवं रखरखाव व्यय में निम्नलिखित लागत घटक होते हैं:

- कर्मचारी व्यय
- मरम्मत एवं रखरखाव व्यय
- प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

कर्मचारी लागत

1.65 कर्मचारी व्यय में वेतन, महंगाई भत्ता, अवकाश यात्रा सहायता, अर्जित अवकाश नकदीकरण, अन्य भत्ते एवं राहत बोनस तथा मानदेय/समयोपरि भत्ते सम्मिलित होते हैं।

मरम्मत एवं रखरखाव व्यय

1.66 मरम्मत एवं रखरखाव व्यय न.दि.न.परिषद् के वितरण कार्यकलापों के दिन प्रतिदिन के रखरखाव से बढ़े है तथा न.दि.न.परिषद् के प्रयासों का एक पूर्ण भाग बना है जो अपने उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तथा गुणता पॉवर आपूर्ति तथा अपनी प्रणाली में हानि में कमी लाते हैं।

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

1.67 पशासनिक एवं सामान्य व्यय में मुख्यत: किराया, टेलीफोन तथा अन्य संचार व्यय, व्यावसायिक प्रभार, वाहन तथा यात्रा भत्ता, अन्य डेबीट्स सम्मिलित है।

प्रचालन एवं रखरखाव व्यय

1.68 न.दि.न.परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु प्रचालन एवं रखरखाव व्यय की उसी प्रकार योजना की है जैसाकि द्वितीय नियंत्रण अवधि हेतु अपने शुल्क आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया है। न.दि.न.परिषद् के माननीय आयोग से इन व्ययों की यथा प्रमाणिकता के समय पर वास्तविक आंकड़ों के अनुसार न.दि.न.परिषद् के प्रचालन एवं रखरखाव व्यय के अनुमोदन का अनुरोध किया है।

तालिका 27: प्रचालन एवं रखरखाव व्यय

करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2012-13	वित्तीय वर्ष 2013-14
1.	निवल परिचालन एवं रखरखाव व्यय	141.96	151.14

प्रशासनिक व्यय एवं सिविल इंजीनियरिंग विभाग व्यय

1.69 सिविल इंजीनियरिंग विभाग व्यय का विद्युत आपूर्ति व्यवसाय के बाँटने के संबंध में, आयोग ने न.दि.न.परिषद् हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए अपने शुल्क आदेश दिनाँक 2.11.2005 को निम्नलिखित वर्णित किया है:-

''.................. जैसे सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विद्युत विभाग के लिए किए गए कार्यो की लागत का बिल्कुल ठीक विवरण इस चरण पर उपलब्ध नहीं है, वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु अपेक्षित समस्त राजस्व के निर्धारण के प्रयोजन हेतु आयोग ने इस व्यय के सामने अंतिम आधार पर 1000 लाख की एकमुश्त राशि पर विचार किया है। आयोग वर्ष के समापन पर यथा प्रमाणिक प्रक्रिया के दौरान उपयुक्त रूप से विद्युत हेतु सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किए गए कार्यो की वास्तविक लागत पर विचार करेगा ....''

चूँकि न.दि.न.परिषद् ने विद्युत वितरण व्यवसाय के कारण अपने सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बाँटे गए व्यय को अभी अलग-अलग करना है, इस प्रकार न.दि.न.परिषद् माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2011-12 के वास्तविक आँकड़ों से अधिक 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु इस शीर्ष के विरूद्ध 10 करोड़ की उसी राशि पर विचार करने का अनुरोध करती है।

1.70 उपरोक्त के अतिरिक्त तथा प्रशासनिक विभाग व्यय को बाँटने के संबंध में, माननीय आयोग ने पूर्वोक्त शुल्क आदेश में निम्नलिखित वर्णित किया है:

''................ इस प्रकार, जबकि कुल प्रशासनिक विभाग व्यय का 19 प्रतिशत विद्युत विभाग को बाँटे जाने का विचार करना ही होगा, राशि ....''

1.71 तद्नुसार, न.दि.न.परिषद् ने अपने विद्युत वितरण व्यवसाय को अपने प्रशासनिक विभाग के वेतन शीर्ष का 19 प्रतिशत को बाँटने का विचार किया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु 5 प्रतिशत की वृद्धि प्रशासनिक व्यय तथा सिविल इंजीनियरिंग विभाग व्यय की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु वास्तविक प्रशासनिक व्यय का विचार किया गया है। न.दि.न.परिषद् माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु प्रशासनिक व्यय एवं सिविल इंजीनियरिंग विभाग व्यय हेतु 125.44 करोड़ तथा 131.71 करोड़ क्रमश: के अनुमोदन का अनुरोध करती है।

तालिका 28: प्रशासनिक एवं सिविल इंजीनियरिंग विभाग व्यय

करोड़ में

क्र. सं.	प्रशासनिक एवं सिविल इंजीनियरिंग व्यय	वि.वर्ष 2011-12 हेतु वास्तविक	वि.वर्ष 2012-13	वि.वर्ष 2013-14
1.	प्रशासन संबंधित व्यय से न.दि.न.परिषद् के विद्युत आपूर्ति व्यवसाय को 19 प्रतिशत बाँटना	109.47	114.94	120.69
2.	सिविल इंजीनियरिंग विभाग की लागत	10.00	10.50	11.03
3.	प्रशासनिक एवं सिविल इंजीनियरिंग विभाग को विद्युत वितरण व्यवसाय का कुल बँटवारा	119.47	125.44	131.71

सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ

1.72 न.दि.न.परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों की योजना हेतु वास्तविक आँकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के अंतिम मूल्य पर विचार किया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान पूँजीगत व्यय तथा पूँजीकरण पर विचार किया गया है जैसाकि वित्तीय नियंत्रण अवधि हेतु अपने बहुवर्षीय शुल्क आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया। योजित प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ, प्रारंभिक पूँजीगत कार्य प्रगति पर है, वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय, अंतिम पूँजीगत कार्य प्रगति पर है तथा प्रत्येक वर्ष हेतु अन्तिम स्थाई परिसम्पत्तियों को नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 29: सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ

करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	वि.वर्ष 2011-12	वि.वर्ष 2012-13	वि.वर्ष 2013-14
1.	प्रारंभिक सकल नियत परिसम्पत्तियाँ	927.47	1050.03	1118.74
2.	प्रारंभिक सीडब्ल्यूआईपी	76.65	103.17	80.06
3.	पूँजीगत व्यय	149.08	45.60	17.68
4.	पूँजीकरण	122.56	68.71	31.64
5.	अंतिम सीडब्ल्यूआईपी	103.17	80.06	66.10
6.	अंतिम सकल नियत परिसम्पत्तियाँ	1050.03	1118.74	1150.38

मूल्यह्रास

1.73 मूल्यह्रास वित्तीय वर्ष के आरंभ तथा समाप्ति पर सकल स्थाई परिसम्पत्तियों पर आधारित औसत सकल स्थाई परिसम्पत्तियों पर, सीधी पद्धति के आधार पर वसूला जाता है। मूल्यह्रास मूल लागत, अनुमानित तथा शेष पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु मूल्यह्रास का निर्धारण मूल्यह्रास दर लगाकर किया जाता है जैसे कि द्वितीय नियंत्रण अवधि हेतु अपने शुल्क आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया। माननीय आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के अनुसार, मूल्यह्रास वर्ष के दौरान औसत सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के 3.6 प्रतिशत पर संगणित किया गया है। निम्न तालिका न.दि.न.परिषद् द्वारा दावा किए गए मूल्यह्रास का सारांश करती है।

तालिका 30: मूल्यह्रास

करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	वि.वर्ष 2011-12	वि.वर्ष 2012-13	वि.वर्ष 2013-14
1.	नियत परिसम्पत्तियों के अथशेष	927.47	1050.03	1118.74
2.	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	122.56	68.71	31.64
3.	वर्ष के दौरान सेवानिवृत	-	-	-
4.	नियत परिसम्पत्तियों के अंतशेष	1050.03	1118.74	1150.38
5.	औसत नियत परिसम्पत्तियों	988.75	1084.39	1134.56
6.	मूल्यह्रास की दर	3.60%	3.60%	3.60%
7.	मूल्यह्रास	35.60	39.04	40.84
8.	संचयित मूल्यह्रास (अंतिम)	360.05	399.09	439.93
9.	निवल ब्लॉक	-	719.65	710.45

कार्य पूँजी

1.74 माननीय आयोग ने द्वितीय नियंत्रण अवधि हेतु अपने बहुवषीय शुल्क विनियम 2011 में वितरण लाइसेंसी हेतु कार्य पूँजी अपेक्षा की संगणना के लिए मानकों को निर्दिष्ट किया है। न.दि.न. परिषद् ने पूर्वोक्त की गणना दि.वि.वि.आ. बहुवर्षीय शुल्क विनियम, 2011 में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार की गई है। न.दि.न.परिषद् के विद्युत व्यवसाय हेतु दि.वि.वि.आ. बहुवर्षीय शुल्क विनियम 2011 में निर्दिष्ट अनुसार दो मास हेतु कार्य पूँजी प्राप्तव्यों, एक मास हेतु पावर क्रय व्यय, एक मास हेतु संचारण प्रभारों तथा दो मासों हेतु चक्रीय प्रभारों की गणना के लिए विचार किया गया है। प्रथम नियंत्रण अवधि के पत्येक वर्ष हेतु कार्य पूँजी की गणना तथा प्रयुक्त मानक नीचे दिए है:

तालिका 31: कार्यपूँजी की गणना हेतु मानक

विवरण	गणना हेतु मानक
विद्युत की खुदरा आपूर्ति हेतु कार्य पूँजी	कार्य पूँजी = विद्युत की बिक्री से राजस्व के दो मासों हेतु प्राप्तव्यों - एक मास हेतु पावर क्रय लागत - एक मास हेतु संचारण प्रभार - दो मासों हेतु चक्रीय व्यय
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (खुदरा आपूर्ति शुल्क तथा चक्रीय शुल्क के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2011	

तालिका 32: कार्य पूँजी

करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	वि.वर्ष 2012-13	वि.वर्ष 2013-14
1.	प्राप्तव्य	1234.12	1368.95
2.	2 मासों के औसत बिलिंग के समकक्ष प्राप्तव्य	205.69	228.16
3.	पॉवर क्रय व्यय	739.07	864.71
4.	कमः पॉवर क्रय व्यय का 1/12	61.59	72.06
5.	संचारण व्यय	95.07	84.76
6.	कमः संचारण व्यय का 1/12	7.92	7.06
7.	चक्रीय व्यय	-	-
8.	कमः 2 मासों हेतु चक्रीय व्यय	-	-
9.	**कुल कार्य पूँजी - खुदरा आपूर्ति**	**136.18**	**149.04**

पूँजी कर्मचारियों पर रिटर्न

1.75 न.दि.न.परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु दि.वि.वि.आ. द्वारा अधिसूचित चक्रीय शुल्क के निर्धारण तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क विनियम 2007 हेतु नियम एवं शर्तों के अनुसार 16 प्रतिशत पर इक्विटी पर रिटर्न की दर को अपनाया गया है। ऋण पर ब्याज दर 11.5 प्रतिशत पर विचार किया गया है जैसाकि माननीय आयोग द्वारा अपने आदेश में अनुमोदित किया गया है। विनियमित दर आधार, कार्य पूँजी में परिवर्तन, आरओसीई के प्राक्कलन तक प्रमुख वेटेज एवरेज कोस्ट आफ केपीटल (डब्ल्यू एसीसी) की विस्तृत गणना नीचे तालिका में दर्शाई जाती है:

तालिका 33: पूँजी कर्मचारियों पर रिटर्न

करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	वि.वर्ष 2011-12	वि.वर्ष 2012-13	वि.वर्ष 2013-14
1.	ओसीएफए का अथशेष	1050.03		
2.	कार्य पूँजी	114.97		
3.	संचयित मूल्यह्रास	360.05	-	-
4.	आर बी (प्रारंभिक)		804.95	855.83
5.	ए बी		29.67	(9.20)

6.	वर्ष में निवेश		68.71	31.64
7.	मूल्यह्रास		39.04	40.84
8.	उपभोक्ता अंशदान	-	-	-
9.	कार्य पूँजी में परिवर्तन		21.20	12.86
10.	आर बी (अंतिम)	804.95	855.83	859.48
11.	विनियमित दर आधार (आरआरबीआई)		840.99	864.09
12.	इक्विटी		30%	30%
13.	ऋण		70%	70%
14.	इक्विटी पर रिटर्न की दर		16.00%	16.00%
15.	डेब्ट पर रिटर्न की दर		11.50%	11.50%
16.	डब्ल्यू एसीसी		12.85%	12.85%
17.	पूँजो कर्मचारियों पर रिटर्न		108.70	111.04

गैर शुल्क आय

1.76 वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु गैर शुल्क आय की योजना वैसी की गई है जैसेकि द्वितीय नियंत्रण अवधि हेतु अपने बहुवर्षीय शुल्क आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित है। न.दि.न.परिषद् वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु 20.39 तथा 21.41 करोड़ क्रमशः की गैर शुल्क आय का माननीय आयोग से अनुमोदन करने का अनुरोध किया।

तालिका 34: गैर शुल्क आय

करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	वि.वर्ष 2012-13	वि.वर्ष 2013-14
1.	गैर शुल्क आय	20.39	21.41

अपेक्षित समस्त राजस्व

1.77 पूर्व में की गई चर्चा के अनुसार विभिन्न शीर्षो की योजना पर आधारित वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु अपेक्षित समस्त राजस्व को नीचे तालिका में दिया है:

तालिका 35: अपेक्षित समस्त राजस्व

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2012-13		वित्तीय वर्ष 2013-14	
		अनुमोदित	संशोधित	अनुमोदित	प्रक्षेपित
1.	पॉवर क्रय की लागत, संचारण एवं वितरण हानि सहित	573.16	739.07	658.28	864.71
2.	अर्न्तराज्यीय संचारण प्रभार	21.04	21.04	22.10	22.10
3.	अर्न्तराज्यीय संचारण प्रभार	74.03	74.03	62.66	62.66
4.	एसएलडीसी प्रभार	5.87	5.87	6.16	6.16
5.	निवल प्रचालन एवं रखरखाव	141.96	141.96	151.14	151.14
6.	मूल्यह्रास	37.89	39.04	39.70	40.84
7.	प्रशासनिक विभाग एवं सिविल इंजीनियरिंग विभाग	45.37	125.44	45.37	131.71
8.	आरओसीई	89.72	108.07	91.99	111.04
9.	कमः गैर शुल्क आय	20.39	20.39	21.41	21.41
10.	**अपेक्षित समस्त राजस्व**	**968.65**	**1234.12**	**1055.99**	**1368.95**

1.78 न.दि.न.परिषद् माननीय आयोग से अपने प्रस्तुतीकरण तथा अपनी वित्तीय स्थिति पर संपूर्णतावादी विचार रखने तथा अपने प्रचालन संबंधी कार्यक्षमता में सुधार करने के अपेक्षित स्त्रोतों पर कृपया विचार करने का अनुरोध करती है।

पॉवर की बिक्री से राजस्व

1.79 वित्तीय वर्ष 2012-13 वित्तीय वर्ष 2014 हेतु राजस्व का इन वर्षों हेतु इस पेटीशन में योजित संशोधित बिक्री हेतु द्वितीय अवधि के लिए अपने बहुवर्षीय शुल्क आदेश में माननीय आयोग द्वारा योजित राजस्व में समानुपाती परिवर्तनों के साथ चालू शुल्क पर योजित किया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु पॉवर की बिक्री से राजस्व का नीचे तालिका में दिए अनुसार है।

तालिका 36: पॉवर की बिक्री से राजस्व

करोड़ में

क्र. सं.	श्रणी	वि.वर्ष 2012-13 (योजित)	वि.वर्ष 2013-14 (योजित)
1.	घरेलू	117.93	122.72
2.	गैर घरेलू	219.03	223.55

3.	मिश्रित लोड	569.65	604.61
4.	लघु उद्योग पॉवर	0.18	0.19
5.	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	5.55	5.47
6.	अन्य	5.19	5.58
7.	दिल्ली मेट्रो रेल निगम	18.31	20.55
8.	कुल	935.84	982.66

राजस्व विषमता

1.80 वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तोय वर्ष 2013-14 के दौरान, न.दि.न.परिषद् की पॉवर की बिक्री से योजित राजस्व 935.84 करोड़ तथा 982.66 की राशि है। न.दि.न.परिषद् प्रस्तुत करती है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान योजित व्यय तथा राजस्व पर आधारित कुल विषमता 310.89 करोड़ तथा 314.85 करोड़ क्रमश: है। पूर्वोक्त को नीचे तालिका में दर्शाया है:

तालिका 37: राजस्व विषमता

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2012-13		वित्तीय वर्ष 2013-14	
		अनुमोदित	संशोधित	अनुमोदित	प्रक्षेपित
1.	**अपेक्षित समस्त राजस्व**	968.65	1234.12	1055.99	1368.95
2.	पॉवर की बिक्री से राजस्व	**847.20**	935.84		982.66
3.	राजस्व विषमता	(121.45)	(298.28)		(386.29)

शुल्क संशोधन प्रस्ताव

1.81 यहाँ प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु रखाव लागत सहित 180.60 करोड़ की निवल विषमता है जैसाकि तालिका 22 में संगणित है।

1.82 न.दि.न.परिषद् प्रथम नियंत्रण अवधि के समापन पर योजित राजस्व विषमता को पूरा करने के लिए उपभोक्ता श्रेणियों के पार शुल्क में 20 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव करती है।

4. माननीय आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों के प्रत्युत्तर

1.83 यह प्रस्तुत किया है कि न.दि.न.परिषद् ने शुल्क आदेशों के माननीय आयोग द्वारा दिए विभिन्न निदेशों का अनुपालन करने के लिए समन्वित प्रयासों को किया गया है। प्रत्येक निदेशों के विरूद्ध अनुपालन की स्थिति इस अध्याय में उपलब्ध है।

तालिका 38: निदेशों का अनुपालन

क्र. सं.	माननीय आयोग द्वारा जारी निदेश	न.दि.न.परिषद् का प्रस्तुतीकरण
1.	वितरण लाइसेंसी को मासिक वितरण ट्रासफार्मर हानि तथा ऊर्जा इनपुट तथा बिल की गई ऊर्जा का ब्यौरा देते हुए क्षेत्र/जिलावार समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि तथा राजस्व वसूली का मास के अन्त से 3 सप्ताह के भीतर इसकी वैबसाइट पर प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।	समस्त न.दि.न.परिषद् क्षेत्र एक जनपद के रूप प्रतिपादित है। माननीय आयोग के अनुमोदन के बाद न.दि.न.परिषद् की वैबसाइट पर समय-समय पर आंकड़ों को उपलब्ध/अपलोड किया जाएगा।
2.	वितरण लाइसेंसी को इन क्षेत्रों/जिलों के संबंध में कम से कम 10 प्रतिशत पर समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि को कम करने का निदेश दिया है जोकि वर्तमान में एक वर्ष अर्थात् अगस्त 2013 के मध्य 30 प्रतिशत अधिक हानि है। इन लक्ष्यों को इस आदेश में विनिर्दिष्ट सभी समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि उपलब्धि लक्ष्यों को ध्यान में रखे बिना वितरण लाइसेंसी द्वारा पूर्ण करना ही होगा। ऐसा होने पर जुर्माना होगा।	न.दि.न.परिषद् माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत करती है कि सभी क्षेत्र/जिले जो न.दि.न.परिषद् के वितरण क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, 30 प्रतिशत से कम की समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि है।

क्र. सं.	माननीय आयोग द्वारा जारी निदेश	न.दि.न.परिषद् का प्रस्तुतीकरण
3.	यथा प्रमाणिकता हेतु अपेक्षित सभी डाटा (कि.वोल्ट एम्पीयर हर्टस आधार पर किए गए उपभोक्ता बिल हेतु कि.वाट हर्टस तथा कि. वोल्ट एम्पीयर हटर्स सहित) का रखरखाव किया जाएगा तथा आयोग द्वारा यथा प्रमाणिकता हेतु अवधि के लिए आदेश को जारी करने से पूर्व डाटा को हटाया नहीं जाएगा।	न.दि.न.परिषद् माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत करती है कि यथा-प्रमाणिकता हेतु अपेक्षित सभी डाटा (कि.वोल्ट एम्पीयर हर्टस आधार पर किए गए उपभोक्ता बिल हेतु कि.वा. हर्टस तथा कि.वोल्ट एम्पीयर हर्टस सहित) का रखरखाव कर लिया गया है तथा आयोग द्वारा यथा-प्रमाणिकता हेतु अवधि के लिए आदेश को जारी करने से पूर्व डाटा को हटाया नहीं जाएगा।
4.	आयोग वितरण लाइसेंसी को तिमाही आधार पर सांविधिक आडिटरों द्वारा आडिट किए गए फार्म 2.1 (क) प्राप्त करने का निदेश देता है। इस संबंध में आडिटर प्रमाणपत्र तिमाही के अंत से 30 दिनों के भीतर आयोग में फाइल किया जाएगा।	फार्म 2.1.(क) में अपेक्षित सूचना आयोग को उपलब्ध कराई जा रही है। न.दि.न. परिषद् सांविधिक आडिटरों द्वारा आडिट किए गए फार्म 2.1.(क) को प्राप्त कर रही है।
5.	आयोग वितरण लाइसेंसी को पॉवर स्टेशनवार पॉवर क्रय मात्रा तथा उसके आडिट किए गए लेखों में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत ब्यौरे के साथ लागत दर्शाने का निदेश देता है।	अपेक्षित सूचना तैयार है तथा अपेक्षित समस्त राजस्व के साथ आयोग को उपलब्ध कराई जा रही है। लेखों में सम्मिलित सूचना हेतु प्रारम्भिक कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा की जा रही है।
6.	वितरण लाइसेंसी संचारण उपयोगिताओं तथा केन्द्रीय तथा राज्य उत्पादन स्टेशनों को देय राशि/बिलों का समय पर भ्गतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। आयोग सरचार्ज की अनुमति नहीं देगा जैसाकि अपेक्षित समस्त राजस्व में पारित किया गया, यदि वितरण लाइसेंसी द्वारा विलम्बित अदायगी के लिए भुगतान किया गया।	न.दि.न.परिषद् समय पर संचारण सुविधाओं एवं केन्द्रीय व राज्य उत्पादन स्टेशनों को देय राशि/बिलों का भुगतान करती है।

क्र. सं.	माननीय आयोग द्वारा जारी निदेश	न.दि.न.परिषद् का प्रस्तुतीकरण
7.	वितरण लाइसेंसी ''परिसम्पत्ति रजिस्टर'' तैयार करेगा तथा 31, अक्टूबर 2012 तक आयोग को प्रस्तुत करेगा।	न.दि.न.परिषद् द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर का पहले से ही रखरखाव किया जा रहा है।
8.	वितरण लाइसेंसी को इस आदेश के जारी होने की तिथि से 2 मास के भीतर अपने कार्यालयों, ग्रीड सब स्टेशनों, उपभोक्ता देखरेख केन्द्रीय इत्यादि में विद्युत खपत को मीटर करने का निदेश दिया जाता है।	न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में सभी कार्यालयों/ग्रीड सब स्टेशनों, उपभोक्ता केन्द्रों इत्यादि हेतु विद्युत आपूर्ति को पहले से ही मीटर किया गया है।
9.	आयोग ने वितरण लाइसेंसी को एक सुरक्षा आडिट करने तथा निवारक रखरखाव अनुसूची के अनसार करने का निदेश दिया जाता है।	विद्युत विभाग के संबंधित रखरखाव प्रभागों द्वारा सुरक्षा संदर्भों में नियमित रूप से जाते हैं। न.दि.न.परिषद् अनुसूची के अनुसार निवारक रखरखाव भी करती है।
10.	समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के संबंध में, आयोग पेटीशनर का निम्नलिखित निदेश देता है:-	
(i)	आयोग को आँकड़ा आधारित बिलिंग के साथ मास आधार पर फार्म 2.1(ए) को आगामी मास के 3 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना।	न.दि.न.परिषद् ने माननीय आयोग को आँकड़ा आधारित बिलिंग के साथ मास आधार पर फार्म 2.1(ए) को प्रस्तुत कर रही है।
(ii)	समर्थक दस्तावेजों के साथ मास आधार पर श्रेणीवार राजस्व संग्रहण को आगामी मास के 3 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना।	व्योम प्रौधोगिकी द्वारा विकसित नये साफ्टवेयर को सितम्बर, 2012 को लागू कर दिया गया है। व्योम प्रौद्योगिकी द्वारा लागू सभी बिल वर्गों को पूर्ण करने के बाद सीमित श्रेणीवार राजस्व संग्रहण रिपोर्ट माननीय आयोग को मई 2013 को प्रस्तुत की जाएगी।

क्र.सं.	माननीय आयोग द्वारा जारी निदेश	न.दि.न.परिषद् का प्रस्तुतीकरण
(iii)	त्रैमासिक तथा वार्षिक तुलन पत्र में फार्म 2. 1(ए) सहित निदेश के संबंध में, आयोग ने त्रैमासिक सूचना के संदर्भ में आडिटर प्रमाणपत्र स्वीकार करने का निर्णय लिया है। पुनः सूचना को विनियामक लेखे वार्षिक के भाग के रूप में सम्मिलित किए जाए।	लेखों में सूचना सम्मिलित करने के लिए प्रारम्भिक कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा की जा रही है।
(iv)	त्रैमासिक तथा वार्षिक तुलनपत्र में श्रेणीवार/स्लैब वार उपभोक्ता विवरण उदाहरणार्थ, उपभोक्ता की संख्या, कनैक्टैड लोड, बिक्री पावर घटक, नियत प्रभारों से राजस्व, मांग प्रभारों से राजस्व सम्मिलित करना।	त्रैमासिक तथा वार्षिक तुलन पत्र में सूचना सम्मिलित करने के लिए प्रारम्भिक कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा की जा रही है।
(v)	त्रैमासिक तथा वार्षिक तुलन पत्र में स्रोत वार पॉवर क्रय तथा बिक्री विवरण उदाहरणार्थ मिलीयन यूनिट में मात्रा तथा करोड़ में सम्मिलित करना।	त्रैमासिक तथा वार्षिक तुलनपत्र में सूचना सम्मिलित करने के लिए प्रारम्भिक कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा की जा रही है।
(vi)	आयोग को श्रेणीवार उपभोक्ता वृद्धि तथा उनका विवरण आगामी मास के 3 सप्ताह के भीतर विवरण देते हुए मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	न.दि.न.परिषद् श्रेणीवार उपभोक्ता वृद्धि तथा उनका विवरण माननीय आयोग को विवरण देते हुए मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है।
(viii)	आयोग को काटे गए कनैक्शनों/पुनः किए गए कनैक्शनों की संख्या तथा उनका विवरण आगामी मास के 3 सप्ताह के भीतर विवरण देते हुए मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	न.दि.न.परिषद् श्रेणीवार उपभोक्ता वृद्धि तथा उनका विवरण माननीय आयोग को विवरण देते हुए मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है।
(ix)	आयोग को उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता श्रेणी के परिवर्तन पर आगामी मास के 3 सप्ताह के भीतर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	न.दि.न.परिषद् उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता श्रेणी के परिवर्तन पर आयोग को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है।

क्र. सं.	माननीय आयोग द्वारा जारी निदेश	न.दि.न.परिषद् का प्रस्तुतीकरण
(ग)	आयोग को बिल सही करना/जे.ई. प्रविष्टियों की आगामी मास के 3 सप्ताह के भीतर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	न.दि.न.परिषद् बिल सही करना/जे.ई. प्रविष्टियों पर मासिक रिपोर्ट माननीय आयोग को प्रस्तुत कर रही है।
11.	आयोग निदेश देता है कि जब भी बिल सही करने के लिए जरनल प्रविष्टियों को किया जाना होता है, तो उन्हें दोनों राशि को बदलने के साथ-साथ बदली गई यूनिट को इंगित किया जाएगा।	न.दि.न.परिषद् बिल सही करना/जे.ई. प्रविष्टियों पर मासिक रिपोर्ट माननीय आयोग को प्रस्तुत कर रही है।
12.	आयोग निदेश देता है कि पथ-प्रकाश व्यवस्था हेतु 100 प्रतिशत मीटरिंग की जाएगी। बैलास्ट इत्यादि के कारण ऊर्जा खपत को मीटर की गई खपत द्वारा गिना जाएगा।	न.दि.न.परिषद् पॉवर वितरण क्षेत्र में पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु 100 प्रतिशत मीटरिंग कर दो गई है।
13.	अल्प अवधि बिक्री तथा क्रय में दूरदर्शिता के लिए सभी प्रयास किये जाएंगे जिससे पॉवर क्रय लागत को अच्छे से अच्छा बनाया जाए जिसके लिए आयोग द्वारा पृथक रूप से ब्यौरेवार निदेश जारी किए जाएंगे।	न.दि.न.परिषद् अल्प अवधि बिक्री तथा क्रय में पॉवर क्रय लागत का अच्छे से अच्छा बनाने के लिए प्रयास कर रही है। पॉवर के व्यापार से संबंधित सभी मामलों को डीपीपीजी द्वारा अपनी बैठकों में अनुमोदन किया गया तथा बैठक की कार्यवाही दि.वि.वि. आयोग को भी भेज दी गई है।
14	आयोग निदेश देता है कि पॉवर बिक्री तथा क्रम के लिए वर्ष के अन्त में अर्थात् मार्च में प्रावधानों को बनाकर एक मास के भीतर अर्थात् अप्रैल के मास में समंजित किया जाएगा। शेष प्रावधानों, यदि कोई हो, को अगले वर्ष यथा-प्रमाणिकता के लिए आयोग द्वारा विचार-विमार्श किया जाएगा।	न.दि.न.परिषद् माननीय आयोग द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन कर रही है।
15.	आयोग वितरण लाइसेंसी को वित्तीय वर्ष 2007-08 से अब तक की अवधि हेतु उपभोक्ता अंशदान के पूँजीकरण के संबंध में सूचना प्रस्तुत करन का निदेश देता है।	न.दि.न.परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2007-08 से अब तक की अवधि हेतु किसी उपभोक्ता अंशदान को प्राप्त नहीं किया है।

क्र. सं.	माननीय आयोग द्वारा जारी निदेश	न.दि.न.परिषद् का प्रस्तुतीकरण
16	आयोग वितरण लाइसेंसी को विद्युत विभाग हेतु सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किए गए कार्यों की लागत को पृथक रूप से आरक्षित करने तथा ऐसे कार्यों तथा सह-लागत का पूर्ण विवरण विद्युत विभाग के साथ-साथ सभी अन्य विभागों की बुक की गई सिविल इंजीनियरिंग विभाग को स्पष्ट करती हुई प्रतिशत व्यय को वर्ष के अन्त तक उपलब्ध कराने का निदेश देती है।	विद्युत विभाग हेतु सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किए गए कार्यों की लागत को अलग करने का कार्य प्रगति पर है।